रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022020-216383
CG-DL-E-25022020-216383

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/फाल्गुन 02, 1941
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 02, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2020

अंतिम जांच परिणाम

विषयः चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "शीट ग्लास" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/10/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहाँ आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जाँच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहाँ आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहाँ आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) निरंतर लगाये जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जाँच करने के लिए कि उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग (डीआई) को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, दिनांक 17 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 7/10/2019-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू की थी।

क. पृष्ठभूमि

1. प्राधिकारी को चीन जन. गण. (जिसे यहाँ आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "शीट ग्लास" (जिसे यहाँ आगे संबद्ध सामान अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में 1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जाँच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के तहत पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए अनुरोध करते हुए मैसर्स एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. (जिसे यहाँ आगे "आवेदक" भी कहा गया है) से 19 जून, 2019 का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

2. मूल जाँच चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित शीट ग्लास के संबंध में घरेलू उद्योग (डीआई) पर पाटन एवं उसके क्षति कारक प्रभाव की मात्रा तथा प्रकृति की जाँच करने के लिए फाइल संख्या 14/22/2013-डीजीएडी द्वारा 20 दिसंबर, 2013 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 19 दिसंबर, 2014 के अपने अंतिम जाँच परिणाम संख्या 14/22/2013-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की। यह शुल्क पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) जारी करके लगाये गये थे।

3. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जायेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये विधिवत पूर्ण अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति बार-बार होने अथवा उसके बार-बार जारी रहने की संभावना है।

4. आवेदक ने पूर्व में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत और चीन जन. गण. से आयातों के विरुद्ध शुल्क जारी रखने का अनुरोध करते हुए दिनांक 19 जून, 2019 को एक आवेदन पत्र दायर किया। यह अनुरोध इस आधार पर था कि इस उपाय की समाप्ति से संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

5. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा के आवेदन पत्र की आवश्यकता को समझने के लिए आवेदक के साथ विचार-विमर्श किया। तदनुसार, जाँच की शुरूआत से पूर्व सुनवाई 11 जुलाई, 2019 को की गई थी।

6. आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा है। भारत में संबद्ध सामानों का एक और उत्पादक, यथा मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब्स लिमिटेड है जिसका कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा है जिसका आवेदक ने विधिवत समर्थन किया है।

7. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन एवं क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध मे पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जाँच करने के लिए कि क्या उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, दिनांक 17 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 7/10/2019-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू की।

8. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों से संबंधित पूर्व जाँच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

9. इस समीक्षा में दिनांक 19 दिसंबर, 2014 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/22/2013-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की गई थी।

10. नीचे वर्णित प्रक्रिया संबद्ध जाँच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई है:

i. महानिदेशक को नियम के तहत चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक से लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

ii. विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 17 जुलाई, 2019 की जाँच की शुरूआत की अधिसूचना संख्या 7/10/2019-डीजीटीआर जारी की।

iii. नई दिल्ली में संबद्ध देश के दूतावास को जाँच की शुरूआत की अधिसूचना तथा आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति सहित नियम 6(2) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत के संबंध में सूचित किया गया था।

iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके नाम और पते आवेदक द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को अधिसूचना की प्रतियां भेजीं और नियमावली के नियम 6(2) तथा नियम 6(4) के अनुसार पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर अर्थात 4 सितंबर, 2019 तक लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया। चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों अर्थात मैसर्स शानडोंग गुआंग्यो सुपर थिन ग्लास कं. लि. और मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. के अनुरोध पर उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 18 सितंबर, 2019 तक बढ़ाई गई थी।

v. प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अधिसूचना की प्रतियां भेजीं:

क. मैसर्स जिनमेई ग्लास प्रोडक्ट्स कं. लि., जियाजुओ सिटी, हेनन, चीन

ख. मैसर्स शानडोंग गुआंग्यो सुपर थिन ग्लास कं. लि., शानडोंग, चीन

ग. मैसर्स अनहुई टोंगक्सियान न्यू मैटेरियल कं. लि., अनहुई, चीन

घ. मैसर्स जियांग्सी पिंगसियांग फोनिक्स शीट ग्लास कं. लि., जियांग सी, चीन

क. मैसर्स डोंगुआंग एक्सिन ग्लास प्रोडक्ट कं. लि., झोवांग टाउन, हेबेई प्रोविंस, चीन

ख. मैसर्स शानडोंग युआंकई सुपर थिन ग्लास कं. लि., शानडोंग युआंकई, चीन

vi. चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किये:

क. मैसर्स शानडोंग गुआंग्यो सुपर थिन ग्लास कं. लि.

ख. मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि.

vii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं (जिनके नाम और पते आवेदक द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार पत्र के जारी होने की तारीख से 40 दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें:

क. मैसर्स अजंता एलएलपी, ऑरपट इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजकोट हाईवे, गुजरात

ख. मोरबी, गुजरात में मैसर्स अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि., ऑरपट इंडस्ट्रियल एस्टेट, हाईवे

ग. मैसर्स अलमाइटी एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नं. जी-2155, रोड नं. 1एच, किशन, गेट लोधिका गिड मेटोडा, राजकोट, गुजरात

घ. मैसर्स एल्फा इंटरप्राइज, फ्लैट नं. 603, लभलक्ष्मी अपार्टमेंट, स्वास्तिक सोसायटी, सनाला रोड, अहमदाबाद, गुजरात

ङ. मैसर्स एम्पायर इम्पैक्स, 2, लकी मनसन, 46/50, मिर्जा गालिब मार्ग, बिकुल्ला, मुंबई

च. मैसर्स एम्पायर इंडस्ट्रीज, 2, मधु इंडस्ट्रियल एस्टेट, मोगरा गांव, अंधेरी पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र

छ. मैसर्स के. के. इम्पैक्स, बिल्डिंग नं. 42, न्यू डीएलएफ इंडस्ट्रियल, फेज-1, हरियाणा

ज. मैसर्स निखिल इंडस्ट्रीज, नं. 540, टी. टी. के. रोड, अलवरपेट, चेन्नई, चेन्नई, तमिलनाडु

झ. मैसर्स पंचनाथ ट्रेडर्स, 1, परसाना सोसायटी, 80 फुट रोड, राजकोट

ञ. मैसर्स क्यू इवेंट्स प्रा. लि., 60-सी, केआई पॉकेट-डी, एसएफएस फ्लैट्स, मयूर विहार, फेज-3

ट. मैसर्स रामचंद्र रेड्डीप्रोपरम इंडस्ट्रीज, नं. 693, थिरूपलाया, बोम्मासांद्रा, पोस्ट बैंगलोर, कर्नाटक

ठ. मैसर्स वाइलिन ग्लास वर्क्स लि., 107, फेमस सिन स्टूडियो बिल्डिंग, 20, डॉ. ई. मोसेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई

viii. विचाराधीन उत्पाद के केवल एक आयातक/उपभोक्ता, यथा - मैसर्स अजंता एलएलपी ने प्राधिकारी की आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया और जाँच में एक हितबद्ध पक्षकार माने जाने का अनुरोध किया। तथापि, उन्होंने प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रपत्र के अनुसार आयातक प्रश्नावली दायर नहीं की।

ix. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2015-16, 2016-17, 2017-18 और जाँच की अवधि शामिल है। जाँच की अवधि के बाद की अवधि भी संभावना विश्लेषण के प्रयोजन के लिए मानी जा सकती है।

x. जाँच की अवधि और पूर्व के तीन वर्षों के लिए लेन-देन वार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा प्रणाली महानिदेशालय (डीजीएस) से प्राप्त किये गये थे। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस, डीजीएस के आंकड़ों तथा भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और मूल्य परिकलित करने के लिए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

xi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।

xii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत में संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) तथा उत्पादन लागत निकालने के लिए नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के आधार पर यथासंभव सीमा तक घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जाँच की है। सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की निर्माण एवं बिक्री लागत निकाली गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xiii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2019 को आयोजित मौखिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। पक्षकारों को दिनांक 7 अक्तूबर, 2019 तक मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद 15 अक्तूबर, 2019 तक प्रत्युत्तर अनुरोध देने का अवसर प्रदान किया गया था।

xiv. दिनांक 7 जनवरी, 2011 के ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2011) 2 एससीसी 258 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदल जाने के कारण इस जाँच में दिनांक 18 दिसंबर, 2019 को एक दूसरी सुनवाई भी की गई थी। पक्षकारों को 23 दिसंबर, 2019 तक मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद 27 दिसंबर, 2019 तक प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था।

xv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों, दिये गये तर्कों और जाँच प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, वर्तमान जाँच से संगत माने गये और साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक, पर इस जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

xvi. जाँच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की परिशुद्धता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो कि संभव सीमा तक इस अंतिम जाँच परिणाम का आधार बनती है और आवश्यक तथा संगत समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और उत्पादक/निर्यातक द्वारा दिये गये आंकड़ों/ दस्तावेजों का स्थल पर सत्यापन किया।

xvii. एक प्रकटन विवरण 30 जनवरी, 2020 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्य थे जिसमें प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हैं, देने के लिए 6 फरवरी, 2020 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जाँच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहाँ कहीं भी संभव हुआ है, वहाँ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर प्रस्तुत करें।

xix. जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जाँच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जाँच में अत्यधिक अड़चनें डाली हैं, वहाँ प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये जाँच परिणाम रिकार्ड किए हैं।

xx. इस अंतिम जाँच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxi. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 69.91 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का क्षेत्र और समान वस्तु</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

11. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

i. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जाँच में, अर्थात शीट ग्लास है। प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और उत्पाद क्षेत्र अथवा पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

ii. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन क्षैतिज रूप से लियर का प्रयोग करके किया जाता है। यह ग्लास मेल्ट की खाली सतह से सीधे ही लिया जाता है और शीट की परतें रोटेटिंग बॉडी का प्रयोग करके ऊपर की ओर ग्लास को ले जाकर स्थिर की जाती हैं। मोल्टन ग्लास लगभग 1000 एमएम की ऊंचाई तक तिरछी ड्रॉइंग मशीन तक ग्लास भट्टी से गुजरता है जहाँ निर्मित ग्लास क्षैतिज प्रवाह तक ग्लास शीट में परिवर्तित होता है। शीट बन जाने पर उसे पॉलिश्ड मेटल रॉल में मोड़ा जाता है और एक लियर में क्षैतिज रूप से ले जाया जाता है। शीट ग्लास उत्पादन प्रक्रिया फ्लोट ग्लास के उत्पादन की प्रक्रिया से पूर्णतः भिन्न है जहाँ ग्लास की शीट मोल्टन मेटल, विशेष रूप से टिन, के बेड पर फ्लोटिंग मोल्टन ग्लास द्वारा बनाई जाती है। इस पद्धति से शीट को समान मोटाई और अत्यधिक चपटी सतह मिलती है।

iii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो पूर्व में की गई जाँच में परिभाषित है क्योंकि इस अवधि में कोई खास गतिविधियां नहीं हुई हैं। अतः घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व जाँच का उल्लेख करता है और उस पर विश्वास करता है।

iv. पाटनरोधी जाँच में उत्पाद क्षेत्र जाँच परिणाम में उल्लिखित एचएस कोड/प्रशुल्क वर्गीकरणों से बाध्य नहीं है, परंतु संगत जाँच परिणाम में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से शासित है। यह रिकार्ड का मामला है कि प्राधिकारी ने अंतिम जाँच परिणाम जारी करते समय शुल्क तालिका में दो प्रशुल्क शीर्षों अर्थात 70042011 और 70042019 का उल्लेख किया। तथापि, शुल्क तालिका में एक परंतुक भी है कि प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक प्रयोजन के लिए है और आयात जाँच परिणाम में परिभाषित उत्पाद क्षेत्र द्वारा शासित होंगे।

v. वित्त मंत्रालय ने प्राधिकारी की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार किया है और जाँच परिणाम सीमा शुल्क अधिसूचना के अभिन्न भाग के रूप में पढ़े जाने हैं। इसके अतिरिक्त, सही प्रशुल्क शीर्षों को शामिल करने का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं होगा कि जाँच का क्षेत्र इतना बढ़ाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का विवरण वही रहे। यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि प्राधिकारी ने विगत में भी शुल्क तालिका में प्रशुल्क वर्गीकरण के संबंध में ऐसे संशोधन किये हैं। इस संबंध में, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सिलाई मशीन की सुइयों के आयातों में शामिल पाटनरोधी जाँचों पर विश्वास किया जाता है (फा. सं. 15/02/2016-डीजीएडी दिनांक 23.05.2017) जिसमें प्राधिकारी द्वारा शुल्क तालिका में समान संशोधित किया गया था।

vi. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना प्राधिकारी का निर्णायक समीक्षा जाँच में मूल जाँच के सभी पहलुओं की जाँच करने का सतत दृष्टिकोण रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में जाँच की शुरूआत की अधिसूचना में भी यह उल्लेख है कि समीक्षा में 19 दिसंबर, 2014 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/22/2013-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की गई थी।

vii. वर्तमान मुद्दा वह नहीं है जिसमें प्राधिकारी जाँच के क्षेत्र को व्यापक बना रहे हैं बल्कि यह वह है जहाँ कुछ एचएस कोड प्राधिकारी द्वारा व्यापक रूप से और स्पष्ट रूप से निर्धारित उत्पाद को शामिल लेने के लिए शामिल किये जाने अपेक्षित हैं। यह अनुरोध है कि जब प्राधिकारी उत्पाद क्षेत्र निर्धारित कर लें तो वह प्राधिकारी द्वारा परिभाषित उत्पाद क्षेत्र से आयात प्रवेश शामिल किये जाने तक प्रशुल्क वर्गीकरण तक सीमित नहीं हो सकता।

<u>उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध</u>

12. विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में मैसर्स अजंता एलएलपी द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. जाँच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये 19 दिसंबर, 2014 के मूल अंतिम जाँच परिणाम में शुल्क लगाये जाने की सिफारिश नीचे उल्लिखित टिप्पणी के साथ प्रशुल्क मद 70042011 और 70042019 के संबंध में की गई थीः

संबद्ध सामान अन्य प्रशुल्क शीर्षों यथा 70031290, 70031990, 70033090, 70042099, 70049019, 70049099, 70052110, 70053090, 70091090, 70091010, 70099100, 70119090 आदि के तहत भी आयात किये जा रहे हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ii. वित्त मंत्रालय को हितबद्ध पक्षकारों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए और दो अभिज्ञात सीमा प्रशुल्क अर्थात 70042011 और 70042019 पर शुल्क लगाए।

iii. विचाराधीन उत्पाद का सीमित क्षेत्र इस निर्णायक समीक्षा जाँच में व्यापक नहीं किया जा सकता और उसे उस विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए जो कि पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है। अतः निर्णायक समीक्षा जाँच का क्षेत्र और उसमें विचाराधीन उत्पाद दो अभिज्ञात सीमा प्रशुल्क मदों अर्थात 70042011 और 70042019 तक ही सीमित होना चाहिए जो शुल्क की दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 07/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के अनुसार लगाये गये थे।

iv. अजंता प्रा. लि. बनाम भारत संघ के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की किः

"यद्यपि यह सत्य है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने जाँच परिणाम में तालिका के नीचे यह उल्लेख करते हुए एक टिप्पणी की कि संबद्ध सामान अन्य प्रशुल्क शीर्षों, जैसा कि उसमें ब्यौरा दिया गया है, के तहत भी आयात किये जा रहे थे और यह कि सीमा शुल्क अधिसूचना केवल संकेतात्मक है और उस जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। तथापि, केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद दिनांक 13.03.2015 की अधिसूचना में उपर्युक्त टिप्पणी को शामिल करना उपयुक्त नहीं समझा है। जहाँ तक दिनांक 13.03.2015 की अधिसूचना का संबंध है, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क प्रशुल्क मद संख्या 70042011 और 70042019 वाले शीट ग्लास पर ही लगाया जाता है।

[-]

उपर्युक्त चर्चा के आलोक में इस न्यायालय का यह मत है कि उत्तरदाता प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा आयातित उन सामानों के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मांग करने का कानून में कोई अधिकार नहीं है जो दिनांक 13.03.2015 की अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) में उल्लिखित प्रशुल्क मदों के तहत नहीं आते।"

v. अपार इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (200) ई.एल.टी. 34 (ट्राई. डेल.) में माननीय सेसटेट द्वारा की गई टिप्पणी निम्नलिखित हैः

"ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णायक समीक्षा अपनी प्रकृति में यह देखने तक सीमित होगी कि क्या जो शर्तें पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के समय मौजूद थीं, उन्हें उस सीमा तक बदला गया है कि शुल्क लगाया जाना जारी रखने के लिए अब कोई औचित्य नहीं है अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि वह शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का आसन्न खतरा है। यह जाँच विभिन्न मानदंडों, यथा – सामान्य शुल्क, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति रहित कीमत का निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति में परिवर्तन तक सीमित है। यह निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के प्रयोजन के लिए नहीं की जाती है बल्कि यह देखने के लिए है कि क्या यह पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने से पाटन बढ़ेगा तथा क्या घरेलू उद्योग को क्षति होगी।"

प्राधिकारी द्वारा जाँच

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद शीट ग्लास है।

14. वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जाँच में है। मूल जाँच में परिभाषित मूल उत्पाद निम्नलिखित हैः

"4. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित शीट ग्लास है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन क्षैतिज रूप से लियर का प्रयोग करके किया जाता है। यह ग्लास मेल्ट की खाली सतह से सीधे ही लिया जाता है और शीट की परतें रोटेटिंग बॉडी का प्रयोग करके ऊपर की ओर ग्लास को ले जाकर स्थिर की जाती हैं। मोल्टन ग्लास लगभग 1000 एमएम की ऊंचाई तक तिरछी ड्रॉइंग मशीन तक ग्लास भट्टी से गुजरता है जहां निर्मित ग्लास क्षैतिज प्रवाह तक ग्लास शीट में परिवर्तित होता है। शीट बन जाने पर उसे पॉलिश्ड मेटल रॉल में मोड़ा जाता है और एक लियर में क्षैतिज रूप से ले जाया जाता है। फ्लोट ग्लास, फिगर्ड और वायर्ड ग्लास विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किये जाते हैं।"

15. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित किये जा रहे उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पादन विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से करते हैं।

16. प्राधिकारी मानते हैं कि उत्पादक द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के अनुसार उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय से संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामानों की समान वस्तु मानी गई है।

17. आयातक द्वारा इस अनुरोध के संबंध में कि जाँच का क्षेत्र शुल्क मूल रूप से लगाये जाने से अधिक नहीं होना चाहिए जो कि सीमा प्रशुल्क मदों अर्थात 70042011 और 70042019 तक ही सीमित था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जाँच में शुल्क विशिष्ट सीमा शुल्क शीर्ष के बजाए उत्पाद अथवा संबद्ध सामान की तुलना में लगाए जाने चाहिए। इस कारण प्राधिकारी सभी मामलों में अनिवार्य रूप से एक विशेष उल्लेख करते हैं कि "सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

18. तथापि, अजंता प्रा. लि. बनाम भारत संघ के मामले में, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया था कि विशिष्ट प्रशुल्क शीर्ष से युक्त सीमा शुल्क अधिसूचना के अभाव में संबंधित विभाग को उन सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मांग करने अथवा एकत्रित करने के लिए कानून में कोई अधिकार नहीं है जो दिनांक 13.03.2015 की अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) में उल्लिखित प्रशुल्क मदों के तहत नहीं आते। प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो घरेलू उद्योग ने ही और न ही राजस्व विभाग ने इस आदेश को चुनौती दी।

19. मूल जाँच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद शीट ग्लास है। विचाराधीन उत्पाद अध्याय 70 में और उसके बाद 7004.20 के तहत "ग्लास एंड ग्लासवेयर" शीर्ष के तहत वर्गीकृत है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा की जाँच की शुरूआत की अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच के अनुसार माना गया था। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर वास्तविक रूप से लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ही है। अतः आठ अंकीय स्तर पर इस निर्णायक समीक्षा के प्रयोजन के लिए संबद्ध सामानों का वर्गीकरण 70042011 और 70042019 है।

घ. <u>घरेलू उद्योग एवं आधार</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

20. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की पात्रता और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा आयातक तथा भारत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आयातकों से संबद्ध नहीं है।

ii. आवेदक का भारतीय उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है। आवेदक वर्तमान आवेदन पत्र दायर करने के लिए आधार की अपेक्षा को पूरा करता है और नियमावली के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" है। यह कानूनी स्थिति के पूर्वाग्रह के बिना है कि आधार की निर्णायक समीक्षा के स्तर पर जाँच की जानी आवश्यक नहीं है।

iii. आवेदक का घरेलू उत्पादन में लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा है। भारत में संबद्ध सामानों का एक और उत्पादक अर्थात मैसर्स भारत गैस ट्यूब्स लिमिटेड है जिसका कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा है जिसने आवेदक को विधिवत समर्थन दिया है।

iv. आवेदक का समर्थक सहित घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है जिससे वह नियमावली के नियम 2(ख) में परिभाषित किये गये अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है।

<u>विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

21. यदि मूल आवेदन पत्र में भारत गैस ट्यूब लिमिटेड के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो निर्णायक समीक्षा दो समय की अवधियों की तुलना के लिए उसके आंकड़ों के आधार पर भी होनी चाहिए।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

22. यह आवेदन पत्र समर्थक मैसर्स भारत गैस ट्यूब्स लिमिटेड के साथ मैसर्स एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। बाद में, प्राधिकारी ने आवेदक को निर्देश दिया कि वे मैसर्स भारत गैस ट्यूब्स लिमिटेड के लिए संगत आंकड़े दायर करे। निर्देशानुसार आवेदक द्वारा संगत आंकड़े दायर किये गये थे।

23. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. ने वर्ष 2016 में उत्पादन शुरू किया। समर्थक सहित मैसर्स एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. का कुल भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वे भारत में किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

24. उपर्युक्त के मद्देनजर और उचित जाँच के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक संबद्ध सामानों के लिए आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) के तहत घरेलू उद्योग है।

ङ. <u>गोपनीयता से संबंधित मुद्दे</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

25. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. केवल उसी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया गया है जिसका गोपनीयता की नियमावली के तहत अनुमति है और जो प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार है।

ii. आवेदक ने आवेदन पत्र का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर दिया है और यह कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सूचना का कोई विशेष उदाहरण उल्लिखित नहीं कर पाया है जिसके गोपनीय होने का दावा किया गया है तथा जिसकी गोपनीयता का औचित्य नियमावली के तहत नहीं बनाया गया है।

iii. भारत में निर्यातों की मात्रा, घरेलू बाजार में बिक्री की कुल मात्रा, उत्पादन, बिक्री, भारत को निर्यातों के लिए औसत कीमत जैसी सूचना सूचीबद्ध रुपांतर में प्रदान की गई है क्योंकि यह सूचना व्यापार स्वामित्व वाली सूचना है।

iv. उत्तरदाता निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय रुपांतर में भारत को निर्यातित मात्राओं, संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन और घरेलू बाजार में उनके निपटान तथा अन्य देशों को निर्यातों के संबंध में भी गोपनीयता का दावा कर अत्यधिक एवं अनपेक्षित गोपनीयता का सहारा लिया है।

v. सहयोगी निर्यातक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन पत्र का अगोपनीय रुपांतर दायर नहीं किया है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

27. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जाँच की गई थी और तद्नुसार उन्हें हल किया गया था। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहाँ कहीं भी संभव हुआ है, वहाँ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर प्रस्तुत करें।

28. प्राधिकारी ने नियम 6(7) तथा व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।

च. विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

29. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. शुल्क लगाए जाने के बावजूद, विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर भारत को अब भी निर्यात किए जा रहे हैं।

ii. घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा लगाए गए शुल्कों के कारण ही अच्छा निष्पादन कर पाया है।

iii. आवेदक ने अपना संयंत्र 2015-16 में स्थापित किया है और 2016-17 में वह वाणिज्यिक उत्पादन में आया। आवेदक पाटनरोधी शुल्क के रूप में प्राधिकारी द्वारा दिए गए संरक्षण के कारण ही संतोषजनक बाजार हिस्सा प्राप्त कर पाया है।

iv. शुल्क बंद करने से घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से और राजस्व के संदर्भ में काफी हानि होगी।

v. चीनी निर्यातकों ने वर्तमान कार्यवाहियों के परिणाम को प्रभावित करने के लिए पिछले दो वर्षों में भारत को अपने निर्यात कम करते समय अपनी कीमतें नीतिगत रूप से बढ़ाई हैं।

vi. चीनी उत्पादकों ने जाँच की अवधि के बाद की अवधि में काफी कम कीमतों पर संबद्ध सामानों का निर्यात करना पहले ही शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि में चीन से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

vii. एक चीनी उत्पादक के वाणिज्यिक बीजक के आधार पर परिकलित संभावित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी अधिक हैं तथा यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को काफी क्षति होनी दर्शाता है।

viii. प्रतिभागी निर्यातकों ने दिनांक 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 5/2018 के अनुसार व्यवहारी लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिशिष्ट 5, 6, 7, 8 और 10 दायर नहीं किए हैं।

ix. यह कानून की निर्धारित स्थिति है कि निर्णायक समीक्षा जाँचों में कारणात्मक संपर्क विश्लेषण अनिवार्य रूप से किया जाना अपेक्षित नहीं है। धारा 9क(5) के तहत शुल्कों की अवधि बढ़ाए जाने के लिए परीक्षण केवल यह जाँच करने के लिए होता है कि क्या वे शुल्क बंद करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

x. यह पूर्णतः आवश्यक नहीं है कि पाटित आयात क्षति के पूरे अथवा यहाँ तक कि प्रमुख कारण होने चाहिए।

xi. मैसर्स अजंता एलएलपी ने न तो प्रश्नावली के उत्तर दायर किए और न ही उन्होंने प्राधिकारी से व्यापार सूचना संख्या 11/2018 में निर्धारित प्रपत्र एवं समय-सीमा में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए कोई अनुरोध किया। अतः मैसर्स अजंता एलएलपी द्वारा किए गए अनुरोधों की अनदेखी की जानी चाहिए।

<u>उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध</u>

30. उत्पादक तथा निर्यातक ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्पादक तथा निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच निम्नलिखित कारणों से रद्द की जानी चाहिए:

क. चीन जन. गण. से आयात जो 2015-16 में 40,847 मी. टन थे, घटकर जाँच की अवधि में 4,160 मी. टन हो गए। आवेदक का यह दावा कि आयात चीनी निर्यातकों की अच्छी तरह से बनी बनाई नीति के रूप में कम हुए हैं, दोषपूर्ण और आधारहीन है। व्यापार सूचना संख्या 02/2017 दिनांक 12 दिसंबर, 2017, जिसमें मूल शुल्क की समाप्ति के 270 दिन पूर्व निर्णायक समीक्षा के आवेदन के लिए समय-सीमा का प्रावधान है, दिसंबर, 2017 में अधिसूचित की गई थी जबकि आयातों में गिरावट अप्रैल, 2017 के आरंभ से शुरू हुई। आवेदक इस बात से पूर्णतः अवगत था कि वह आवेदन पत्र कब दायर करेगा और लाभ मानदंडों में क्षति दर्शाने के लिए अंतिम दो वर्षों में अपनी बिक्री कीमत कम करने का विकल्प जानबूझकर चुना है।

ख. आर्थिक आंकड़े घरेलू उद्योग की चमकती हुई स्थिति दर्शाते हैं। आवेदक की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मूल्य और बिक्री वसूली प्रति यूनिट क्षति की अवधि में बढ़े हैं। चूंकि एक उद्यम द्वारा रखी गई भारी मालसूची बढ़ती हुई बिक्री मात्रा को पूरा करने के लिए बढ़ाई गई है, अतः वह क्षति का संकेतक नहीं है। घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर प्रदत्त मजदूरी तथा उत्पादकता जाँच की अवधि में बढ़ी है। अतः इस निमित्त कोई क्षति नहीं है। पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना आयातों का पहुँच मूल्य निरंतर बढ़ता रहा है, जबकि आवेदक की लागत में गिरावट तथा बिक्री कीमत में वृद्धि उसे लाभप्रदता का लाभ दे रही है।

ग. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़े असंगत हैं और उनके बारे में अत्यधिक चेतावनी तथा सख्त जाँच की जानी चाहिए। जब लागत सबसे कम है तो हानियां उच्चतम हैं और बिक्री कीमत काफी अधिक है। जाँच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित कोई आंकड़े आवेदक द्वारा उल्लिखित नहीं किए गए हैं। पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना आयातों का पहुँच मूल्य निरंतर बढ़ता रहा है। कम कीमत पर बिक्री भी नकारात्मक है। चीन जन. गण. में विद्यमान संयंत्रों की सक्रिय बंदी रही है। और कोई अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं। सहयोगी उत्पादक और निर्यातक की संबद्ध सामानों की ज्यादा मालसूची नहीं है, परंतु इसके बजाए वे घरेलू बाजार और/अथवा तीसरे देश के निर्यात बाजारों में उसकी बिक्री करते हैं। चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री कीमत और तीसरे देशों को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत भारत को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत से अधिक हैं। वाणिज्यिक बीजक के आधार पर संभावित विश्लेषण किया गया है जो कि किसी तर्क से विहीन है।

घ. आवेदक ने संबद्ध देश से आयातों के कारण सतत क्षति स्थापित करने के लिए कोई दावा नहीं किया है अथवा कोई मामला नहीं बनाया है। संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन तथा खपत के संदर्भ में तथा भारत में कुल आयातों के संबंध में काफी गिरावट आई है।

ङ. घरेलू उद्योग को पाटन और/अथवा क्षति बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

31. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि मैसर्स अजंता एलएलपी द्वारा किए गए अनुरोधों की अनदेखी की जाए, यह उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 10 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 11/2018 के खंड (iv) के अनुसार *"उपर्युक्त खंड (i) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी के पास जिस हितबद्ध पक्षकार ने खुद को पंजीकृत किया है, परंतु प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं करता। यह उसे कानूनी अनुरोध दायर कर, सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेकर, प्रकटन संबंधी टिप्पणियां दायर कर आदि* जाँच *के अन्य चरणों में भाग लेने से हितबद्ध पक्षकार को नहीं रोकेगा।"*

32. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस तथा डीजीएस से दो शीर्षों यथा 70042011 और 70042019 के लिए प्राथमिक रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़े एकत्रित किए हैं।

33. विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए जो विशेष अनुरोध संगत माने गए हैं, उन्हें नीचे दिए गए पैराओं में प्राधिकारी द्वारा हल कर दिया गया है।

छ. <u>पाटन का मूल्यांकन – सिद्धांत एवं मानदंड</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

34. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संबद्ध देश में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

ii. आवेदक ने उल्लेख किया है कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार चीन को तब तक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना है जब तक संबंधित फर्म/उत्पादक/निर्यातक पैरा 8(3) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर उपर्युक्त अवधारणा का खंडन न कर पाएं। उन्होंने दावा किया है कि यह पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा ली गई स्थिति के अनुरूप तथा अन्य देशों में जाँच कर्ता प्राधिकारियों द्वारा की गई स्थिति के अनुरूप भी है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को निम्नलिखित कारणों से गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए:

क. किसी भी चीनी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और अपेक्षित प्रश्नावली नहीं भरी है।

ख. उन स्थितियों में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार रद्द किया जाना चाहिए जहां चीनी निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ हों कि उनकी बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) के अनुरूप हैं।

ग. बाजार अर्थव्यवस्था स्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता चीनी निर्यातक नियमावली के तहत उल्लिखित प्रत्येक मानदंड के संबंध में परीक्षण पास न करें।

घ. यह सिद्ध करना उत्तरदाता चीनी निर्यातकों का दायित्व है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं।

ङ. बाजार अर्थव्यवस्था स्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से दावा न करे।

च. यह अनुरोध किया गया है कि ऐसी स्थिति में चीन के लिए सामान्य मूल्य उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों की दृष्टि से 8(2) के परंतुक को हटाए बिना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारित किया जा सकता है।

छ. इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित (क) भारत में तीसरे देश से आयात कीमत, (ख) भारत में बिक्री कीमत, और (ग) भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि चूंकि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं, अतः प्राधिकारी कृपया "किसी अन्य आधार" पर विचार न करें क्योंकि इसे तभी लागू किया जाना होता है जब कानून के तहत सूचीबद्ध आधार लागू न किए जा सकते हों।

ज. अनुबंध-1 का पैरा 8(2) प्राधिकारी के लिए चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता। तथापि, पैरा 8(3) के प्रावधान के तहत वह चीनी फर्मों द्वारा खंडन के लिए खुला है।

झ. प्राधिकारी संविधि का निर्माण है और उसे अपने दायित्वों का निष्पादन तथा अधिकारों का कार्यान्वयन विशेष रूप से उसे संविधि के विशेष प्रावधानों के तहत सौंपे गए अधिकारों के अनुसार करना होता है। अतः, जब तक पैरा 8 के प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक प्राधिकारी के लिए यह स्पष्ट है कि वे पैरा 8 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें और चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानें।

ञ. चीनी अर्थव्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतत रूप से काफी सरकारी मध्यस्थता के कारण चीन का नाम एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश बनाए रखना आवश्यक है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि चीन की अर्थव्यवस्था सरकारी बलों द्वारा नियंत्रित होती है और देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी मशीनरी का काफी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण होता है। डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम के तहत बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्रदान करना स्वचालित नहीं है बल्कि अभिगम नयाचार में उल्लिखित पूर्व शर्तों में चीन के अनुपालन पर आकस्मिक है।

iii. आवेदक ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विश्वास किया है। आवेदक ने कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए निर्यात कीमत समायोजित की है।

iv. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों में भारी कमी है और नवीनतम व्यापार सूचना के अनुसार दायर नहीं की गई है।

v. घरेलू उद्योग ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है अथवा संबद्ध देश में संबद्ध सामानों की घरेलू कीमतों के संबंध में विश्वसनीय सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है।

vi. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के लिए आवेदक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन सार संभाल एवं मंजूरी प्रभार आदि के लिए निर्यात कीमत समायोजित कर कारखानागत निर्यात कीमतें निकाली हैं।

vii. तदनुसार, आवेदक ने उपर्युक्त परिकलित सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन निकाला है।

<u>विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

35. निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि भारत को उनके द्वारा निर्यातित संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत प्राधिकारी को उनके द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

36. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

37. जाँच की शुरूआत पर प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी जिसमें संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी गई कि वे जाँच की शुरूआत की सूचना का उत्तर दें और उनके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करें। चीन जन. गण. के एक उत्पादक अर्थात मैसर्स शानडोंग गुआंग्यो सुपर थिन ग्लास कं. लि. और चीन जन. गण. के एक निर्यातक मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. से उत्तर प्राप्त हुए थे।

ज. <u>सामान्य मूल्य</u>

38. प्राधिकारी यह पाते हैं कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, यद्यपि उन्हें प्रश्नावली भेजी गई थी। अतः नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से अन्य कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

39. नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर

तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जाँच *के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी।* जाँच *से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"*

40. आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है। यद्यपि, एक निर्यातक मैसर्स शानडोंग गुआंग्यो सुपर थिन ग्लास कं. लि. ने जाँच में सहयोग किया है, परंतु उसने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए निर्धारित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः परिशिष्ट के पैरा 1-5 के तहत उस देश के लिए सामान्य मूल्य उपर्युक्त सहयोगी निर्यातक के उत्तरों के आधार पर परिकलित नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी परिशिष्ट के पैरा 7 के तहत सामान्य मूल्य निर्मित करने पर विचार करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें तथा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमतें न तो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और न ही प्राधिकारी के पास किसी सार्वजनिक पटल से उपलब्ध हैं। अतः उपर्युक्त उल्लिखित स्रोतों से सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागत के लिए और लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ निर्यातक देश में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करने का निर्णय लिया। चूंकि, निर्यातक देश में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत के संबंध में कोई आंकड़े प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं हैं, अतः वे आवेदक की उत्पादन लागत को निर्यात के देश में उत्पादन लागत के रूप में मानते हैं और प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागत के लिए तथा लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि जोड़ते हैं। प्राधिकारी द्वारा जाँच की अवधि के लिए और जाँच की अवधि के बाद की अवधि के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य क्रमशः *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन और *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन हैं।

झ. <u>निर्यात कीमत</u>

41. जाँच की अवधि के दौरान मैसर्स शानडोंग गुआंग्यो सुपर थिन ग्लास कं. लि. ने एक असंबद्ध पक्षकार मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. के माध्यम से भारत को *** अमेरिकी डॉलर के *** मी. टन और तीसरे देशों को *** अमेरिकी डॉलर के *** मी. टन की निर्यात बिक्री की। मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. एक व्यापारिक कंपनी है जिसने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया। मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. ने जाँच की अवधि के दौरान कोई घरेलू बिक्री नहीं की और सीधे ही सामानों का निर्यात किया। मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. के जाँच की अवधि में भारत को निर्यातों में आईटीसी एचएस कोड 70042011 तथा 70042019 अर्थात दो एचएस कोडों, जिन पर दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, के तहत कोई निर्यात शामिल नहीं थे। डीजीएस के आंकड़ों के अनुसार जाँच की अवधि के बाद (अप्रैल-सितंबर, 2019) की अवधि में मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. के भारत को निर्यात *** मी. टन थे जिनमें आईटीसी एचएस कोड 70042019 के तहत *** मी. टन शामिल थे और आईटीसी एचएस कोड 70042011 के तहत कोई निर्यात नहीं थे।

42. असंबद्ध सहयोगी निर्यातक के माध्यम से भारत को सहयोगी उत्पादक का निर्यात एफओबी आधार पर था। सहयोगी उत्पादक ने अंतर्देशीय भाड़ा और पत्तन सार संभाल प्रभारों (एफओबी का *** प्रतिशत) का दावा किया है जबकि सहयोगी निर्यातक ने बैंक प्रभारों (एफओबी का *** प्रतिशत) और ऋण लागत (एफओबी का *** प्रतिशत) का दावा किया है। बिक्री एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय तथा निर्यातक के लाभ पर उसे अलग करने के लिए विचार नहीं किया गया है क्योंकि निर्यातक उत्पादक से असंबद्ध है तथा उसने जाँच की अवधि के दौरान लाभ कमाया। डीजीएस आंकड़ों का लेन-देन वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को एचएस 70042011 अथवा एचएस 70042019 के तहत विचाराधीन उत्पाद निर्यात नहीं किया, परंतु जाँच की अवधि के बाद में एचएस कोड 70042019 के तहत भारत को कुछ निर्यात थे। तद्नुसार, सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए जाँच की अवधि के बाद की अवधि के लिए निवल निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर के रूप में निकाली गई है। जाँच

की अवधि के बाद की अवधि में वैट के संबंध में सहयोगी निर्यातक से विशेष विश्वसनीय सूचना के अभाव में निर्यात कीमत निवल वैट @ *** प्रतिशत ली गई है।

43. चीन जन. गण. के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिन्होंने निवल निर्यात कीमत के परिकलन के लिए जांचों में सहयोग नहीं किया और विशेष सूचना के अभाव में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे अर्थात समुद्री भाड़ा (*** अमेरिकी डॉलर/ मी. टन, समुद्री बीमा (सीआईएफ का *** प्रतिशत), अंतर्देशीय भाड़ा (*** अमेरिकी डॉलर/मी. टन), पत्तन सार संभाल व्यय (सीआईएफ का *** प्रतिशत), बिक्री कमीशन (एफओबी का *** प्रतिशत), बैंक प्रभार (एफओबी का *** प्रतिशत) और ऋण लागत (*** रुपये/मी. टन) लिये गये हैं। अन्य सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निवल वैट (*** प्रतिशत) पर ली गई है। अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यातों की मात्रा डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार कुल निर्यात मात्रा से सहयोगी निर्यातक की निर्यात मात्रा घटाकर निकाली गई है। उपर्युक्त के आधार पर अन्य सभी निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत जाँच की अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन तथा जाँच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर/ मी. टन निकाली गई है।

44. प्राधिकारी ने मात्राओं एवं कीमतों का सह-संबंध बनाने के लिए डेस्क अध्ययन के भाग के रूप में डीजीएस आंकड़ों के साथ सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के नमूना निर्यात बीजकों की जाँच की।

ञ. <u>पाटन मार्जिन</u>

45. उपर्युक्तानुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार निर्धारित किया जाता है। जाँच की अवधि के बाद की अवधि अप्रैल-सितंबर, 2019 की अवधि उल्लिखित है:

विवरण	सहयोगी निर्यातक	अन्य सभी निर्यातक	
	जाँच की अवधि के बाद की अवधि*	जाँच की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि
सीएनवी (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	***	***	***
निर्यात कीमत	***	***	***
पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	***	***	***
पाटन मार्जिन (%)	***	***	***
पाटन मार्जिन (% रेंज)	80-100	220-240	180-200
* जाँच की अवधि में सहयोगी निर्यातक ने भारत को एचएस 70042011 अथवा एचएस 70042019 के तहत विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया।			

ट. <u>क्षति का मूल्यांकन</u>

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

46. घरेलू उद्योग ने क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. लागू पाटनरोधी शुल्क बंद करने/रोकने से पाटन एवं क्षति बार-बार होने की संभावना है। यदि चीन से आयातित सामानों पर लागू शुल्क रहने बंद कर दिए जाते हैं तो चीनी निर्यातक भारतीय बाजार को पकड़ लेंगे जिससे घरेलू उद्योग को काफी क्षति होगी।

ii. प्रति दिन उत्पादकता में संबद्ध देश से पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के रूप में प्राधिकारी से संरक्षण के कारण आधार वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यह उत्पादकता घरेलू उद्योग को क्षति का कारक नहीं है।

iii. पाटन के स्तर, आयातों की मात्रा, विभिन्न क्षति मानदंडों, निर्यातकों के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमताओं, निर्यातों की मालसूची और विश्व में उनकी कीमतों की केवल जाँच की अवधि के बाद के लिए ही जाँच किए जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए क्षति की अवधि में भी जाँच किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति का विश्लेषण विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के स्तर को ध्यान में रखते हुए तथा निर्यातकों के संभावित भावी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना अपेक्षित है।

iv. एक निष्कर्ष निकाला जाना है कि क्या पाटनरोधी शुल्क न बढ़ाए जाने का निर्णय लेने से पूर्व संबद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को कोई सतत पाटन अथवा क्षति अथवा अन्यथा उसके बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

v. डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर कीमत कटौती सकारात्मक थी और 2016-17 तक काफी थी। तथापि, कीमत कटौती 2016-17 के बाद नकारात्मक हो गई। घरेलू उद्योग ने यह बात दोहराई है कि चीनी निर्यातकों ने जाँच के परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपनी कीमतें बनावटी तौर से बढ़ाई हैं। वस्तुतः चीन से कीमतों में पहले ही जाँच की अवधि के बाद की अवधि में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए चीनी निर्यातकों के जाँच की अवधि के बाद के बीजक संलग्न किए हैं कि चीनी उत्पादकों ने पहले ही जाँच की अवधि के बाद की अवधि में अपनी कीमतें घटाई हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कीमत कटौती अपने आप में क्षति का एक कारक नहीं है।

vi. जाँच की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है। वह प्राधिकारी द्वारा दिए गए पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण के कारण है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क सतत रूप से लगाया जाना उद्योग के बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में आयातित चीनी सामानों की कीमतों में गिरावट आनी निश्चित होगी।

vii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह कानून की निर्धारित स्थिति है कि निर्णायक समीक्षा जांचों में कारणात्मक संपर्क विश्लेषण करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान *ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स फ्रॉम मैक्सिको (डब्ल्यूटी/डीएस 282/एबी/आर दिनांक 2 नवंबर, 2005)* के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय की ओर आकर्षित किया है।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कारणात्मक संपर्क के संबंधित सूचना निम्नलिखित है:

क. संबद्ध सामान प्रमुख रूप से चीन से आयात किए जाते हैं। बाद में, ईरान से भी आयातों में कुछ वृद्धि हुई है।

ख. देश में मांग क्षति जाँच अवधि में बढ़ी है। अतः मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारक नहीं है।

ग. संबद्ध सामानों के लिए एक ही बाजार है, जहां पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। कीमत आपूर्तिकर्ता की पसंद निर्धारित करती है। पाटित सामान देशी उत्पादक के उत्पाद का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। आयातित उत्पाद भी घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध सामानों के रूप में समान वाणिज्यिक ग्रेडों, मानकों और विशिष्टियों को पूरा करने के लिए बेचे जाते हैं। आयातित सामान और घरेलू रूप से उत्पादित सामान समान वस्तु हैं और समान अनुप्रयोगों/ अंतिम प्रयोगों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कीमत आयातित स्रोतों अथवा घरेलू स्रोतों से वस्तु की खरीद के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों के संबंध में उपयुक्त बिक्री/लाभ वसूल नहीं कर रहा है। यह सीधे ही संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों के कारण हो सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग हमेशा संबद्ध देश से आयातकों द्वारा पेश की गई कीमतों से तुलना करने की उम्मीद करता है। इसके अतिरिक्त, शीट ग्लास उद्योग मांग और आपूर्ति बलों के आधार पर निर्धारित की जा रही कीमतों के साथ उचित प्रतिस्पर्द्धी स्थितियों के तहत प्रचालन करता है। संबद्ध देश से पाटित

सामानों की अनुचित कीमत ही प्राथमिक रूप से और प्रमुख रूप से घरेलू उत्पादक पर बनाए जा रहे अनुचित कीमत दबाव के लिए उत्तरदायी है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। यदि आयात उचित सामान्य कीमत पर किए जाते हैं तो घरेलू उद्योग पूर्णतः आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में है।

घ. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां अथवा प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण कहा जा सके।

ङ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति जाँच अवधि में लगभग स्थिर रही है। अतः उत्पादकता घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

च. घरेलू उद्योग ने समीक्षा की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। तद्नुसार, निर्यात के निष्पादन के कारण घरेलू उद्योग का क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता।

<u>विरोधी पक्षकारों के विचार</u>

47. क्षति के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से आयातों के कारण निरंतर क्षति सिद्ध करने के लिए कोई दावा नहीं किया है अथवा कोई मामला नहीं बनाया है।

ii. घरेलू उद्योग को पाटन और/अथवा क्षति बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

iii. चीन जन. गण. से आयात 2015-16 में 40,847 मी. टन से काफी घटकर 2017-18 में 6,774 मी. टन हुए हैं और तभी से आयात निरंतर गिरावट पर रहे हैं। आयात जाँच की अवधि में 4,160 मी. टन तक गिरे हैं।

iv. मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब्स लिमिटेड और मैसर्स एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. के संयुक्त आंकड़ों पर इस जाँच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों के अनुकूल विश्लेषण के लिए विचार किए जाने की आवश्यकता है।

v. घरेलू द्योग को क्षति नहीं है और आर्थिक मानदंड अच्छे हैं।

vi. घरेलू उद्योग की कीमत और लाभप्रदता के मानदंडों ने काफी सुधार दर्शाया है।

vii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा क्षति की अवधि में निरंतर और काफी बढ़ी है।

viii. चूंकि, रखी गई भारी मालसूची बढ़ रही बिक्री मात्रा को पूरा करने के लिए बढ़ी है। अतः वह क्षति का संकेतक नहीं है।

ix. कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि में *** से बढ़कर *** हुई है जो बढ़ी हुई क्षमता के अनुरूप है।

x. वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार सतत क्षति की कोई स्थिति नहीं है।

xi. पाटन एवं क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

xii. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में सापेक्ष संदर्भ में गिरावट आई है।

xiii. भारत में आयात उन कीमतों पर नहीं आ रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव हो।

xiv. संबद्ध देश से कीमत कटौती काफी नकारात्मक है।

xv. संबद्ध देश में क्षमता कम हुई है और संबद्ध देश में काफी अनुपयुक्त क्षमताएं नहीं हैं।

xvi. चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमताओं का कोई साक्ष्य नहीं है।

xvii. उत्पादक तथा निर्यातक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय, केशवराम रेयन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य 2017 (166) डीआरजे 417 उल्लिखित किया है जिसमें न्यायालय ने प्राधिकारी की स्थिति सुनिश्चित की है कि केवल अत्यधिक क्षमताओं की मौजूदगी भारत में निर्यात भेजने की संभावना के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। ऐसी संभावना और अत्यधिक क्षमताओं के बीच कारणात्मक संपर्क लिया जाना चाहिए।

xviii. जाँच की अवधि के बाद की अवधि के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

xix. तीसरे देश को निर्यात कीमत भारत को निर्यात कीमत से अधिक है।

xx. घरेलू उद्योग के आंकड़े और "पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना" निर्धारित करने के लिए कारकों का मूल्यांकन अनुपयुक्त है तथा रद्द किए जाने योग्य है।

xxi. क्षति यदि कोई है, तो वह आयातों को छोड़कर अन्य कारणों से है, यथा – मांग में गिरावट, घरेलू उद्योग की न्यूनीकृत कीमत, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन।

xxii. यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो रही है तो वह संबद्ध आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

48. प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण निम्नलिखित रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

49. चूंकि, आवेदक मैसर्स एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. का आधार वर्ष 2015-16 में कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं था, जबकि मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब्स लिमिटेड एक मात्र उत्पादक था, निरंतरता के लिए और तुलना को सुकर बनाने के लिए दोनों आवेदकों अर्थात मैसर्स एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. और समर्थक मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब्स लिमिटेड के आंकड़ों पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

50. अनुबंध-।। के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है की कि किसी क्षति जाँच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "ऐसे कारकों की जाँच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

51. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में यथा आवश्यक संशोधन सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि उसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को बंद करने से घरेलू उद्योग को क्षति बार-बार होने की संभावना है।

52. इस संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जाँच करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई है, की जाँच करने के लिए कार्रवाई करते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने उन तत्वों पर विचार किया है जिनका नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली तथा पाटन की मात्रा और मार्जिन के रूप में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

ठ. <u>मांग का मूल्यांकन</u>

53. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए आवेदक की घरेलू बिक्री और कैप्टिव खपत की मात्रा के रूप में तथा सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत परिभाषित की है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जाँच की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)
कैप्टिव सहित घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***	***
ईमर्ज ग्लास की बिक्री (कैप्टिव सहित)	मी. टन	***	***	***	***	***	***
भारत ग्लास की बिक्री (कैप्टिव सहित)	मी. टन	***	***	***	***	***	***
संबद्ध देश से आयात	मी. टन	9,897	4,010	157	148	327	655
अन्य देशों से आयात	मी. टन	106	401	1,875	0	0	0
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.0	309.8	320.0	288.6	125.7	251.4

<u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

i. <u>आयात मात्रा और आयातों का बाजार हिस्सा</u>

54. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जाँच की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)
आयात मात्रा							
संबद्ध देश से आयात	मी. टन	9,897	4,010	157	148	327	655
अन्य देशों से आयात	मी. टन	106	401	1,875	0	0	0
कुल आयात	मी. टन	10,003	4,411	2,032	148	327	655
के संबंध में संबद्ध देश से आयात							
भारतीय उत्पादन	%	***	5	2	0	1	1
मांग	%	***	5	1	0	1	1

55. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात क्षति की अवधि में और जाँच की अवधि में पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में कम हुए हैं। उसके बाद वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार, घरेलू उत्पादन के अनुपात के रूप में और कुल मांग के अनुपात के रूप में भी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूरी क्षति अवधि और जाँच की अवधि में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाई और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में वृद्धि दर्शाई।

ङ. <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

56. नियमावली के अनुबंध-2(ii) के अनुसार प्राधिकारी को कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित होता है।

i. <u>कीमत कटौती</u>

57. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत से तुलना करके पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा में कीमतों का न्यूनीकरण करने के लिए है अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती। इस संबंध में, उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच व्यापार के समान स्तर पर सभी निवल छूटों और करों पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

58. कीमत कटौती का मूल्यांकन जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की भारत में घरेलू बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुँच कीमत से तुलना करके किया गया है। यह देखा जाएगा कि आयातों की पहुँच कीमत जाँच की अवधि के बाद की अवधि में 2017-18 से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम थी।

विवरण	**यूओएम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**जाँच की अवधि**	**जाँच की अवधि के बाद की अवधि**	**जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)**
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	19,298	22,357	11,417	16,449	17,206	17,206
निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज (%)	(0)-(20)	(0)-(20)	80-100	20-40	20-40	20-40

ii. <u>कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास</u>

59. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव काफी मात्रा में कीमतों का ह्रास करने तथा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की तुलना वांछित प्रभाव देखने के लिए पहुँच मूल्य से की गई है। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

विवरण	**यूओएम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**जाँच की अवधि**	**जाँच की अवधि के बाद की अवधि**	**जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)**
आयातों की पहुँच कीमत – संबद्ध देश	रु./मी. टन	19,298	22,357	11,417	16,449	17,206	17,206
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	59	85	89	89
घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	93	106	101	101
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	116	117	113	113

60. निम्नलिखित देखा जाता हैः

i. आयातों की पहुँच कीमत क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से अधिक थीं और उसके बाद बिक्री कीमत से कम रही हैं।

ii. आयातों की पहुँच कीमत 2015-16, 2017-18, जाँच की अवधि और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी।

iii. <u>कम कीमत पर बिक्री</u>

61. कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य के साथ क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना करके किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एनआईपी का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार जाँच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करके किया गया है।

62. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत का परिकलन भी भारत में सीआईएफ कीमत एवं सीमा शुल्क तथा उस पर अधिभार पर विचार करते हुए किया गया है। यह देखा जाता है कि जाँच की अवधि में क्षति मार्जिन पाटनरोधी शुल्क सहित और शुल्क के बिना अन्य निर्यातकों के लिए सकारात्मक था। क्षति मार्जिन पाटनरोधी शुल्क सहित और उसके बिना जाँच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान सहयोगी निर्यातक के लिए सकारात्मक था।

विवरण	**यूओएम**	**सहयोगी निर्यातक**	**अन्य सभी निर्यातक**	
		जाँच की अवधि के बाद की अवधि	**जाँच की अवधि**	**जाँच की अवधि के बाद की अवधि**
एडीडी के बिना				
आयात मात्रा	मी. टन	***	***	***
आयातों की पहुँच कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***	***	***
क्षति रहित कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***	***	***
	%	***	***	***
	रेंज	20-40	40-60	40-60
एडीडी सहित				
आयात मात्रा	मी. टन	***	***	***
आयातों की पहुँच कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***	***	***
क्षति रहित कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***	***	***
	%	***	***	***
	रेंज	0-20	0-20	0-20

ढ. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड</u>

63. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जाँच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह,

मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

64. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर निम्नलिखित रूप में चर्चा की जाती है:

i. <u>उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा</u>

65. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	**यूओएम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**जाँच की अवधि**	**जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)**
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	261	261	261	261
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	100	100	100
कुल उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	457	478	507	490
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	105	111	107
कुल क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	175	183	195	188
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	105	111	107
कैप्टिव सहित घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	459	489	450	389
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	106	98	85
कैप्टिव को छोड़कर घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	450	471	429	371
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	105	95	82

66. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

i. घरेलू उद्योग अर्थात मैसर्स एनर्जी ग्लास इंडिया लि. 2016-17 में अस्तित्व में आया। समर्थक मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड उससे भी पूर्व प्रचालन में था। घरेलू उद्योग और समर्थक द्वारा संस्थापित क्षमता जाँच की अवधि और जाँच की अवधि के बाद की अवधि सहित पूरी क्षति की अवधि में 2016-17 से समान रही।

ii. घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन सहित आधार वर्ष से जाँच की अवधि तक बढ़ा। तथापि, उसमें जाँच की अवधि के बाद की अवधि में गिरावट आई।

iii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की प्रवृत्ति कैप्टिव एवं कैप्टिव को छोड़कर, दोनों क्षति की अवधि के दौरान बढ़ीं, परंतु जाँच की अवधि के दौरान और उसके बाद जाँच की अवधि के बाद की अवधि में उसमें गिरावट आई।

ii. <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

67. आरोपित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नलिखित रूप में जाँच की गई है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जाँच की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)
कैप्टिव सहित घरेलू उद्योग की बिक्री*	%	***	***	***	***	***	***
संबद्ध देश से आयात	%	35.6	4.7	0.2	0.2	0.9	0.9
अन्य देशों से आयात	%	0.4	0.5	2.1	0.0	0.0	0.0
कुल मांग	%	100	100	100	100	100	100
* चूंकि, एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. का आधार वर्ष 2015-16 में कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं था, जबकि मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब्स लिमिटेड एक मात्र उत्पादक था, निरंतरता के लिए और तुलना को सुकर बनाने के लिए दोनों आवेदकों अर्थात मैसर्स एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. और समर्थक मैसर्स भारत ग्लास ट्यूब्स लिमिटेड के आंकड़ों पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।							

68. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का कैप्टिव खपत सहित बाजार हिस्सा जाँच की अवधि सहित पूरी क्षति अवधि में बढ़ा है। तथापि, जाँच की अवधि के बाद की अवधि में उसमें आंशिक गिरावट आई थी। संबद्ध देश के बाजार हिस्से में जाँच की अवधि सहित क्षति की अवधि में गिरावट आई, परंतु क्षति की अवधि के बाद उसमें वृद्धि हुई।

iii. <u>मालसूची</u>

69. निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार संबद्ध सामानों की मालसूची से संबंधित आंकड़े आधार वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में वृद्धि दर्शाते हैं:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जाँच की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)
अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	100	127	954

iv. <u>लाभ अथवा हानि, नकद लाभ एवं निवेश पर आय</u>

70. घरेलू उद्योग की लाभ/हानि, नकद लाभ एवं निवेश पर आय निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जाँच की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)
लाभ/(हानि)	लाख रु.	(***)	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	272	794	150	228
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	404	29	74
नकद लाभ	रु./मी. टन	(***)	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	497	760	747	412
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	166	163	79
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	125	225	108	125
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	500	33	100

71. यह देखा जाता है कि लाभ/(हानि), नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय में क्षति की अवधि में नकारात्मक से सकारात्मक में सुधार हुआ है, परंतु उनमें 2017-18 की तुलना में जाँच की अवधि में और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में गिरावट आई।

v. <u>रोजगार एवं उत्पादकता</u>

72. रोजगार एवं मजदूरी के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

विवरण	**यूओएम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**जाँच की अवधि**	**जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	180	181	190	186
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	101	105	103
उत्पादकता/कर्मचारी	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	254	264	267	262
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	104	105	104
उत्पादकता/दिन	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति (2015-16)	सूचीबद्ध	100	454	475	505	488
प्रवृत्ति (2016-17)	सूचीबद्ध	-	100	105	111	107

73. क्षति अवधि और जाँच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु जाँच की अवधि के बाद की अवधि में आंशिक गिरावट आई। साथ ही, उत्पाकता प्रति दिन तथा प्रति कर्मचारी में क्षति की अवधि और जाँच की अवधि में वृद्धि हुई, परंतु जाँच की अवधि के बाद की अवधि में आंशिक गिरावट आई।

vi. <u>वृद्धि दर</u>

74. वृद्धि दर के परिकलन के लिए आधार वर्ष 2016-17 लिया गया है क्योंकि दोनों आवेदक तथा समर्थक घरेलू उत्पादक उस वर्ष के दौरान प्रचालन में थे। निम्नलिखित तालिका यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने मात्रा एवं कीमत मानदंडों, यथा – उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से के संदर्भ में क्षति की अवधि और जाँच की अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है और उसके बाद गिरावट दर्ज की, जबकि घरेलू बिक्री, लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर आय 2017-18 तक बढ़े हैं, परंतु उसके बाद उनमें गिरावट आई।

विवरण	**यूओएम***	**2017-18**	**जाँच की अवधि**	**जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)**
कुल उत्पादन	सूचीबद्ध	5	6	-4
कैप्टिव सहित घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	6	-8	-13
कुल क्षमता उपयोग	सूचीबद्ध	5	6	-4
कैप्टिव सहित घरेलू उद्योग की बिक्री का बाजार हिस्सा	सूचीबद्ध	2.8	2.1	-0.7
लाभ/(हानि)	सूचीबद्ध	304	-375	45
नकद लाभ	सूचीबद्ध	66	-3.4	-84.2
नियोजित पूंजी पर आय	सूचीबद्ध	400	-467	67
* ये आंकड़े संबंधित तत्वों की वृद्धि हैं।				

ण. <u>पाटन तथा क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना</u>

75. प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और इस जाँच का जोर वर्तमान क्षति न होने पर भी पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की अनुमति दिए जाने पर सतत पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति के संभावित परिदृश्य की जाँच करना है।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

i. घरेलू उद्योग ने चीन में नई-नई बढ़ाई गई क्षमताओं को सिद्ध करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यह दर्शाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादन में क्षमता वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उद्योग भारतीय ग्राहकों को कुछ चीनी निर्यातकों द्वारा पेश की गई कीमतें प्राप्त करने में भी सक्षम था। अनुरोध है कि चीनी निर्यातकों द्वारा उद्धृत कीमतें अवास्तविक रूप से कम हैं।

iii. घरेलू उद्योग भारतीय ग्राहक को एक चीनी निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात का वाणिज्यिक बीजक प्राप्त करने में भी सक्षम था। जिस कीमत पर उपर्युक्त चीनी निर्यातक ने संबद्ध सामानों की बिक्री की है, वह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति का प्रभाव घरेलू उद्योग पर कितना पड़ सकता है। यद्यपि, पेश की गई कीमतें घरेलू उद्योग की लागत से कम हैं, तथापि घरेलू उद्योग मानता है कि विद्यमान शुल्कों को हटाए जाने की स्थिति में वह कीमत भारतीय बाजार में विद्यमान होनी शुरू हो जाएगी।

iv. जाँच की अवधि के बाद की अवधि के आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, पाटन मार्जिन सकारात्मक है और काफी है। यह दर्शाता है कि शुल्क हटाए जाने से घरेलू उद्योग की बदतर हालत हो जाएगी।

v. सूचना अभियान से प्राप्त आयात आंकड़ों के अनुसार यद्यपि जाँच की अवधि में आयात की मात्रा 4160 मी. टन, तथापि जाँच की अवधि के बाद की अवधि में 5 माह में अकेले आयातों की मात्रा 5871 मी. टन रही है। इसके अतिरिक्त, जाँच की अवधि के बाद की अवधि में आयात कीमतें भी निरंतर गिरावट में देखी गई हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीनी निर्यातकों ने जाँच की अवधि के बाद निर्यात की मात्रा नीतिगत रूप से कम की है। यद्यपि, उन्होंने वर्तमान जाँच के परिणाम को प्रभावित करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं।

<u>विरोधी पक्षकारों के विचार</u>

76. पाटन और क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना के संबंध में सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के अनुरोध संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने "इंफो ड्राइव" से आयात आंकड़ों का उल्लेख किया है जो एक अविश्वसनीय गौण स्रोत है और जिसे सही नहीं माना जा सकता।

ii. संबद्ध आयातों की मात्रा में भी पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन एवं खपत के संदर्भ में गिरावट आई है। संबद्ध आयातों की मात्रा में भारत में कुल आयातों के संबंध में तथा भारतीय उत्पादन एवं खपत के संबंध में गिरावट आई है।

iii. जाँच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित कोई भी आंकड़े आवेदक द्वारा नहीं दिए गए हैं।

iv. आवेदक की लागत कम हुई है और बिक्री कीमत बढ़ी है। यह दर्शाता है कि आवेदक की कीमत संबद्ध आयातों की कीमत की प्रवृत्ति से अप्रभावित है। स्पष्ट रूप से कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास का कोई संकेत नहीं है।

v. पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना आयातों का पहुँच मूल्य निरंतर बढ़ता रहा है। कम कीमत पर बिक्री भी नकारात्मक है।

vi. संबद्ध देश चीन जन. गण. से कीमत कटौती काफी नकारात्मक है। इसका अर्थ यह है कि:

क. यदि बाजार दरें चीनी कीमतों को दर्शाती थीं तो आवेदक अपनी बिक्री कीमत काफी नहीं बढ़ा पाया।

ख. आवेदक ने अपनी कीमतें आयातों के मूल्य/कीमत से अत्यधिक कम रखने का विकल्प लिया अथवा आवेदक संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य को छोड़कर अन्य कारकों के कारण अपनी कीमतें बढ़ाने में असमर्थ था।

ग. आवेदक को इन कम कीमतों के कारण हानियां हुई हैं जिन पर उसने संबद्ध देश द्वारा अपनी कीमतें काफी बढ़ाए जाने के बावजूद बिक्री करना जारी रखा। यह उसके पीबीआईटी के उस समय नकारात्मक होने से सिद्ध है जब आयात कीमतें आवेदक की बिक्री कीमत से काफी अधिक हैं।

घ. आवेदक जानबूझकर प्राधिकारी तथा सहयोगी निर्यातक को चीनी कीमतों की वैश्विक कीमतों से तुलना करने के लिए अथवा वैश्विक रूप से कीमत प्रवृत्तियों को समझने के लिए वंचित करते हुए गैर संबद्ध देश से आयात आंकड़ों की पहचान करने मे विफल रहा है।

vii. चीन जन. गण. में विद्यमान संयंत्रों की सक्रिय बंदी हुई है। चीन जन. गण. में ग्लास और सीमेंट की क्षमताओं को नियंत्रित करने के लिए और प्रदूषण के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार 2014 से अपने उत्पादन को नियंत्रित और विनियमित करती रही है। अतः कोई अत्यधिक क्षमताएं नहीं हैं।

viii. सहयोगी उत्पादक तथा निर्यातक के पास संबद्ध सामानों की ज्यादा मालसूची नहीं है बल्कि इसके बजाए वे घरेलू बाजार और/अथवा तीसरे देश के निर्यात बाजारों में उसकी बिक्री करते हैं।

ix. चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री कीमत और तीसरे देशों को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत भारत में संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत से अधिक है। सहयोगी उत्पादक को भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारत को तीसरे देशों के लिए निर्यात अथवा अपनी घरेलू बिक्री बदलने के लिए कोई वाणिज्यिक प्रोत्साहन नहीं है।

x. एक वाणिज्यिक बीजक के आधार पर संभावना विश्लेषण किया गया है जो पूर्णतः तर्कहीन है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

77. प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विविध सूचनाओं पर विचार किया है। संभावना के मानदंडों की जाँच निम्नलिखित रूप में हैः

i. जाँच की अवधि के बाद की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात

आयात मात्रा	यूओएम	जाँच की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि	जाँच की अवधि के बाद की अवधि (ए)
संबद्ध देश	मी. टन	148	327	655

78. भारत में जाँच की अवधि के बाद की अवधि के आयातों की जाँच करने के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से आंकड़े प्राप्त किए हैं और उससे यह पाया है कि जाँच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आयातों में जाँच की अवधि से तुलना करने पर वृद्धि हुई है।

ii. निर्यातक की क्षमता

79. प्राधिकारी कोई यह जाँच करना अपेक्षित है कि क्या निर्यातक देश के पास विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए अधिशेष क्षमता है। संबद्ध देश के पास अपनी घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए और उससे अधिक कोई भी क्षमता वह क्षमता मानी जाती है जो निर्यात के लिए होती है। घरेलू उद्योग ने आईटीसी ट्रेड मैप का भी उल्लेख किया है जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि जहां तक एचएस 700420 का संबंध है, चीन के पास उच्चतम निर्यात क्षमता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने एक ई-मेल पत्राचार प्रस्तुत किया है जिसमें चीन के उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उन्होंने क्लीयर शीट ग्लास की एक और उत्पादन लाइन जोड़ी है।

iii. बाजार के रूप में भारत की आकर्षकता

80. प्राधिकारी को यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि घरेलू बाजार अर्थात भारत में विद्यमान कीमत तीसरे देशों को निर्यात की गई मात्रा बदलने के लिए निर्यातक के लिए आकर्षक है। आवेदक ने यह दर्शाते हुए कोई आंकड़े अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि भारतीय बाजार में कीमत तीसरे देशों में विद्यमान कीमतों से अधिक आकर्षक है। यह देखा जा सकता है कि आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा निवल बिक्री कीमत से कम है। प्राधिकारी ने संबद्ध देश से तीसरे देशों को निर्यातों की कीमत की भी जाँच की है और यह पाया जाता है कि संबद्ध देश के निर्यातक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कई देशों को भारतीय कीमतों से कम कीमतों पर कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता दर्शाता है। आईटीसी ट्रेड मैप से आंकड़े छः अंकों में उपलब्ध हैं और वह दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातित 700420 की 51.6 प्रतिशत मात्रा 2008 में भारत को निर्यातित की गई मात्रा से कम दर पर थी। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश में निर्यातकों के पाटित कीमतों पर भारत में उत्पाद का निर्यात करने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

विवरण	**यूओएम**	**चीन जन.गण . जाँच की अवधि के बाद की अवधि**
आयातों की पहुँच कीमत	रुटन .मी/.	17,206
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रुटन .मी/.	***
घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत	रुटन .मी/.	***

iv. जाँच की जा रही वस्तु की मालसूची

81. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग की मालसूची क्षति अवधि में, जाँच की अवधि में और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में बढ़ती रही है। चीन से सहयोगी निर्यातक की मालसूची निम्नलिखित है:

विवरण	**यूनिट**	**2016**	**2017**	**2018**	**जाँच की अवधि**
मालसूची	मी. टन	***	***	***	***

त. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

82. घरेलू उद्योग से प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं, मैसर्स शानडोंग गुआंग्यो सुपर थिन ग्लास कं. लि. ने असंबद्ध पक्षकार के माध्यम से निर्यात बिक्री की, मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक) ने भारत को तथा मैसर्स अजंता एलएलपी (आयातक) को निर्यात बिक्री की। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे व्यापक रूप से दोहराए गए हैं और जांच के दौरान पूर्व में उठाए गए थे तथा उपयुक्त रूप से हल भी कर दिए गए थे। तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई:

घरेलू उद्योग द्वारा टिप्पणियां

i. प्रकटन विवरण दिनांक 30 जनवरी, 2020 को जारी किया था और इस विवरण पर अनुरोध दायर करने के लिए संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को 6 फरवरी, 2020 तक का समय दिया गया था। घरेलू उद्योग (डीआई) ने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे प्रकटन पर टिप्पणियां दायर करने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय दें । प्राधिकारी ने नोट किया चूंकि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क केवल 12 मार्च, 2020 तक लागू है और इसीलिए आवश्यक समय सीमा बिना विलंब के अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने के लिए अपेक्षित है । ताकि केन्द्र सरकार के पास प्राधिकारी की सिफारिशों पर उपाय की समाप्ति से पूर्व पर्याप्त समय हो। अत: समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था ।

ii. फिर घरेलू उद्योग ने 6 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित रूप में विस्तृत टिप्पणियां दीं।

(क) उनके द्वारा सार्वजनिक सुनवाई लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तर विवरण में उठाए गए मुद्दे कोई उल्लेख नहीं पाते तथा प्रकटन विवरण में उचित रूप से नहीं दिए गए हैं।

(ख) विवरण का पैरा 19 जिसमें यह उल्लेख है कि *"आठ अंकीय स्तर पर इस निर्णायक समीक्षा के प्रयोजन के लिए संबद्ध सामानों का वर्गीकरण 70042011 और 70042019 है"*, भारतीय अधिसूचना पैरा 17 में प्राधिकारी की अपनी टिप्पणी और इन वर्षों में विभिन्न जांचों में प्राधिकारी के सतत दृष्टिकोण का विरोधीभासी है। यह एक निर्धारित स्थिति है कि पाटनरोधी जांच में उत्पाद क्षेत्र जांच परिणाम में उल्लिखित एचएस कोड/प्रशुल्क वर्गीकरणों से बाधित नहीं है बल्कि वह संगत जांच परिणाम में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से शासित है। प्राधिकारी ने मूल जांच में अपने अंतिम जांच परिणाम जारी करते समय शुल्क तालिका में दो प्रशुल्क शीर्षों अर्थात 70042011 और 70042019 का उल्लेख किया था। तथापि, शुल्क तालिका में एक परंतुक भी निहित था कि प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक प्रयोजन के लिए है और आयात जांच परिणाम में परिभाषित उत्पाद क्षेत्र से शासित होंगे।

(ग) प्रकटन विवरण के पैरा 8 और जांच की शुरूआत की अधिसूचना में यह उल्लेख है कि वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों से संबंधित पूर्व जांच के सभी पहलू शामिल हैं। अतः प्राधिकारी के लिए इस विरोधहीन तथ्य के बावजूद दो प्रशुल्क शीर्षों तक ही वर्तमान जांच का क्षेत्र सीमित करना उपयुक्त नहीं होगा कि विचाराधीन उत्पाद अन्य शीर्षों के तहत भी आयातित किया जा रहा है। यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद अन्य विभिन्न शीर्षों के तहत आयात किया जा रहा है, डीजीसीआईएस के आयात आंकड़ों से सिद्ध है और सीमा शुल्क आंकड़ों से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। यहां तक कि निर्यातकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने सीमा शुल्क अधिसूचना में उल्लिखित शीर्षों को छोड़कर विभिन्न शीर्षों के तहत विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, अतः यह प्राधिकारी पर है कि उस शीर्ष पर ध्यान न देते हुए विचाराधीन उत्पाद के आयातों को शामिल करें जिसके तहत उसे आयात के समय सीमा शुल्क द्वारा वर्गीकृत किया गया है। प्राधिकारी के लिए इसका कोई कारण नहीं है कि वे अन्य सभी मामलों में अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लें।

(घ) माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी प्राधिकारी को सीमा शुल्क अधिसूचना में उल्लिखित इन दो शीर्षों तक ही शुल्क बढ़ाए जाने तक सीमित नहीं किया है। उपर्युक्त निर्णय में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को केवल यह निर्देश दिया गया है कि वे उन शीर्षों के तहत आयातित सामानों पर पाटनरोधी शुल्क एकत्रित न करें जो दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा शामिल नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बदलने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने किसी भी स्तर पर यह नियम भी नहीं दिया है कि सीमा शुल्क अधिसूचना में उल्लिखित सीमा शुल्क शीर्ष द्वारा शामिल न किए गए सामान उत्पाद क्षेत्र से अलग किए जाते हैं। यह इस कारण था कि न तो घरेलू उद्योग और न ही प्राधिकारी ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में अपने तर्क दिए। चूंकि, घरेलू उद्योग को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनाया गया था, अतः वह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क देने या कोई उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर करने की स्थिति में नहीं था।

(ड.) प्राधिकारी के लिए अपनी इस सतत स्थिति से विचलन करने का कोई कारण नहीं है कि *"सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा"*। प्राधिकारी की यह सिफारिशें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि शुल्कों का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के आधार पर निर्णीत किया जाएगा और सीमा शुल्क शीर्ष के आधार पर नहीं जो कि केवल संकेतात्मक प्रस्ताव के लिए है।

(च) वित्त मंत्रालय के लिए अपनी अधिसूचना में सीमा शुल्क शीर्षों को जोड़ने अथवा उनमें परिवर्तन करने में कोई बाधा नहीं है। कई सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में विभिन्न कारणों से वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क शीर्षों में परिवर्तन किए गए हैं/संशोधन किए गए हैं।

(छ) दिनांक 30 दिसंबर, 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 47/2019 में वित्त मंत्रालय ने प्रशुल्क शीर्ष में परिवर्तन की दृष्टि से छः पाटनरोधी मामलों से संबंधित पूर्व सीमा शुल्क अधिसूचना में संशोधन किया है। यह पूर्णतः उन्हें संशोधित सीमा प्रशुल्क के अनुरूप लाने के लिए किया गया है। यह सिद्ध करता है कि पाटनरोधी जांचों में शुल्क उत्पाद विवरण से शासित होते हैं न कि प्रशुल्क शीर्षों से।

(ज) वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी दिनांक 02 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 10/2020 में प्रशुल्क वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण सीमा शुल्क शीर्ष परिवर्तित किए गए हैं।

(झ) माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकारी पर अथवा वित्त मंत्रालय पर उस सीमा शुल्क अधिसूचना में सही शीर्ष उल्लिखित करने से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जिसके तहत विचाराधीन उत्पाद का वास्तविक रूप में आयात किया जा रहा है और सीमा शुल्क द्वारा इसे मंजूर किया जा रहा है।

(ट) प्राधिकारी से यह दोहराते हुए उन सभी प्रशुल्क शीर्षों को शामिल करने का अनुरोध है जिनके तहत संबद्ध सामानों का आयात किया जा रहा है कि *"सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।"*

(ठ) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में *"उत्तरदाता प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा आयातित उन सामानों के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मांग करने का कानून में कोई अधिकार नहीं है जो उल्लिखित प्रशुल्क मदों के तहत नहीं आते।"* उपर्युक्त मामलों में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत शामिल न किए गए सामानों पर शुल्क एकत्रित करने से पक्षकार विशिष्ट राहत प्रदान की है। यह अत्यधिक अनुचित होगा यदि एक याचिकाकर्ता विशेष/आयातक को प्रदान की गई राहत सभी आयातों के लिए पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए आधार बने। यह उच्च न्यायालय के आदेश के निर्वचन के लिए पूर्णतः अवांछित होगा जो कि घरेलू उद्योग की सूचना के अनुसार यहां तक कि वित्त मंत्रालय भी नहीं अपना रहा है क्योंकि वे अन्य आयातकों से शुल्क निरंतर एकत्रित कर रहे हैं।

(ड) इस असंभावित स्थिति में कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग के उपर्युक्त अनुरोधों से निश्चित नहीं है, प्राधिकारी से उन सभी शीर्षों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है जिनके तहत चीन से शीट ग्लास के आयात स्पष्ट इस प्रावधान से हुए हैं कि मैसर्स अजंता एलएलपी से शुल्कों का संग्रहण 2015 की एससीए सं. 13496 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यधीन होगा जो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सीमित प्रयोजन है।

(ढ) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 10 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 11/2018 में उल्लेख है कि जो हितबद्ध पक्षकार प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं करता, वह कानूनी अनुरोध दायर कर, सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेकर, प्रकटन संबंधी टिप्पणियां दायर कर, जांच के अन्य चरणों में भाग लेने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसने स्वयं को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी के साथ पंजीकृत करा लिया हो। इस मामले में, यह विवादास्पद है कि मैसर्स अजंता एलएलपी ने प्राधिकारी के समक्ष पंजीकरण नहीं कराया है और इसीलिए वे उपर्युक्त व्यापार सूचना के खंड (iv) में निर्धारित पूर्वोदाहरण स्थिति को पूरा नहीं करते। ऐसे परिदृश्य में मैसर्स अजंता एलएलपी द्वारा किए गए अनुरोध प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त व्यापार सूचना के अनुसार नहीं माने जा सकते। न तो उपर्युक्त पक्षकार ने ही कोई अपवाद करने के लिए कोई तर्क दिया है और न ही प्राधिकारी ने इस मामले में किसी प्रकार के किसी विशेष विचार के लिए कोई आधार रिकार्ड किए। अतः मैसर्स अजंता एलएलपी के अनुरोध की अनदेखी की जानी चाहिए।

(ण) प्रकटन विवरण से यह नोट किया जाए कि चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादक तथा असहयोगी उत्पादकों का पाटन मार्जिन अत्यधिक है। यह घरेलू उद्योग के तर्क को सिद्ध करता है

कि शुल्क लगाए जाने के बावजूद चीनी निर्यातकों ने शुल्क खपाए और भारत में संबद्ध सामानों का पाटन जारी रखा। इसके मद्देनजर, शुल्क जारी रखना घरेलू उद्योग के बने रहने के लिए स्पष्ट है।

(त) प्रकटन विवरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामान निरंतर घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं। कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी है। फिर भी, प्राधिकारी ने दो शीर्षों के तहत ही आयातों का विश्लेषण किया है, आयातों की मात्रा जांच की अवधि के बाद की अवधि में बढ़ी है। घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंड जांच की अवधि के बाद की अवधि में खराब हुए हैं। घरेलू उद्योग की मालसूची जांच की अवधि के बाद की अवधि में गंभीर रूप से बढ़ी है और यही प्रवृत्तियां लाभप्रदता, आरओसीई और अन्य क्षति मानदंडों के संबंध में देखी जा सकती हैं।

(थ) जांच की अवधि के बाद की अवधि में प्रकटन विवरण में उल्लिखित आरओसीई की प्रवृत्तियां गलत प्रतीत होती हैं। यद्यपि, घरेलू उद्योग का आरओसीई जांच की अवधि के बाद की अवधि में कम हुआ है, तथापि प्रकटन विवरण उसमें वृद्धि दर्शाता है। आरओसीई के प्रतिशत आंकड़े जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए गलती से वार्षिकीकृत किए गए प्रतीत होते हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि उसे ठीक करें।

(द) प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट है कि चीनी निर्यातक भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यह स्पष्ट है कि शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को और क्षति होने की आसन्न संभावना है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात बढ़े हैं जबकि आयात कीमतों में गिरावट आई है। चीनी निर्यातकों की क्षमता वृद्धि और निर्यात क्षमता पहले ही घरेलू उद्योग द्वारा दर्शा दी गई है। प्रकटन विवरण यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार चीनी उत्पादकों के लिए आकर्षक है। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे अत्यधिक क्षतिकारक कीमतों पर चीन से पाटित संबद्ध सामानों से घरेलू उद्योग का संरक्षण करने के लिए शुल्क जारी रखने की सिफारिश करें।

(ध) प्रकटन विवरण से और चीनी निर्यातकों के कीमत पैटर्न से यह सिद्ध है कि उन्होंने अपनी कीमतें कम करके पाटनरोधी शुल्क खपाया है जिससे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन विफल हो गया है। प्राधिकारी से शुल्क संरचना में प्रति मी. टन आधार पर निर्धारित शुल्क को संदर्भ कीमत आधारित शुल्क में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया गया है, जैसा कि विगत में भी निर्णायक समीक्षा के स्तर पर कई मामलों में किया गया है। शुल्क की इस पद्धति से यह सुनिश्चित होगा कि चीनी उत्पादकों द्वारा शुल्क नहीं खपाए जा रहे हैं और साथ ही उन भारतीय आयातकों पर अत्यधिक भार नहीं बढ़ रहा है जो अपाटित कीमतों पर आयात करते हैं। वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क खपाने की चीनी उत्पादकों के इतिहास को देखते हुए शुल्क ढांचे को संदर्भ कीमत आधारित शुल्क में परिवर्तित करना सबसे अधिक तर्कसंगत होगा। संदर्भ कीमत आधारित शुल्क सरकार की उल्लिखित इस नीति के अनुरूप भी होगा कि भारत को सस्ते और कम गुणवत्ता के सामानों के लिए पाटन ग्राउंड नहीं होना चाहिए।

(न) घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें न्याय एवं समानता के हित में व्यक्तिगत रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाए क्योंकि प्रकटन विवरण में कुछ मुद्दे पहली बार लाए गए हैं ।

आयातक द्वारा टिप्पणियां

83. मैसर्स अजंता एलएलपी एक मात्र आयातक है जिसने वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लिया। मैसर्स अजंता एलएलपी ने सूचित किया है कि उन्होंने नोट कर लिया है कि प्राधिकारी ने उन दो प्रशुल्क मदों 70042011 तथा 70042019 में विचाराधीन उत्पाद को क्षेत्र को सीमित करने के लिए उनके दावों को स्वीकार कर लिया है जिन पर दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

उत्पादक तथा निर्यातक द्वारा टिप्पणियां

84. संबद्ध देश से उत्पादक मैसर्स शानडोंग गुआंग्यो सुपर थिन ग्लास कं. लि. और निर्यातक मैसर्स झोंगवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री कं. लि. ने अनुरोध किया है कि भारत को उनके निर्यात सीमा प्रशुल्क मद 70049099 के तहत थे जबकि उपर्युक्त निर्णायक समीक्षा के लिए विचाराधीन उत्पाद एचएस 70042011 और 70042019 के तहत आता है। उनके निर्यात इस जांच के क्षेत्र के तहत शामिल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी द्वारा प्रकटनपश्चात अनुरोधों की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

i. प्राधिकारी घरेलू उद्योग की चिंता समझते हैं और मानते हैं कि प्रकटन विवरण का उद्देश्य सभी हितबद्ध पक्षकारों की जानकारी में वे अनिवार्य तथ्य लाना है जो अंतिम जांच परिणाम का आधार होंगे । अत: प्रकटन विवरण का इरादा भी उस किसी भी अनिवार्य तथ्य पर टिप्पणी करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने का है जिसका प्रकटन विवरण में उल्लेख न हो अथवा ऐसा कोई मुद्दा/तथ्य जिस पर जांच की आगे चलते रहने वाली प्रक्रिया के द्वारा किसी हितबद्ध पक्षकार का ध्यान न गया हो और समानता तथा न्याय के हित में अंतिम जांच परिणाम में हल किए जाने की आवश्यकता हो । इसके अतिरिक्त पैरा 82 (i) में बताई गई समयसीमा के मद्देनजर यथाशीघ्र अंतिम सिफारिश जारी करने की आवश्यकता है । प्राधिकारी यह भी टिप्पणी करते हैं कि 30 सितंबर, 2019 और 18 दिसंबर, 2019 को इस मामले में दो मौखिक सुनवाइयां आयोजित की गई थीं, जिसमें घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच प्रक्रिया के दौरान अनुरोध तथा प्रत्युत्तर दायर करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है । अत: प्राधिकारी ने किसी भी हितबद्ध पक्ष्कार को प्रकटन विवरण के पश्चात कोई व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं की । तथापि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी संगत अनुरोधों को इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से हल कर दिया गया है ।

ii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां/अनुरोध अधिकतर पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर ली गई है और जिन्हें प्रकटन विवरण अथवा वर्तमान जांच परिणाम के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है:

iii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि जांच के दौरान समय-समय पर उनके द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को उल्लिखित नहीं किया गया है और उन पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है।प्राधिकारी मानते हैं कि प्रकटन का उद्देश्य सभी हितबद्ध पक्षकारों की जानकारी में वह कोई भी संगत अनुरोध/पहलू लाना है जिन्हें विचारार्थ प्रकटन में शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, कतिपय अनुरोध जो दोहराए गए हैं अथवा संबंधित/समान अनुरोधों में शामिल किए गए हैं, हो सकता है हटाए जाने के लिए उन पर विचार न किया गया हो। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख नहीं किया है कि कौन-कौन से विशिष्ट संगत अनुरोध प्रकटन में उल्लिखित नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को पुन: देखा है और मानते हैं कि सभी संगत अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में कार्रवाई की गई है।

iv. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट करते हैं कि मैसर्स अजंता एलएलपी ने दिनांक 10.09.2018 की व्यापार सूचना संख्या 11/2018 के अनुसार एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण नहीं किया और यह कि उन्होंने किसी अपवाद के लिए कोई तर्क नहीं दिया और न ही प्राधिकारी ने किसी प्रकार के विशेष विचार के लिए कोई आधार रिकार्ड किया।प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स अजंला एलएलपी सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि वे दिनांक 26 जुलाई, 2019 के पत्र के माध्यम से दिनांक 17.07.2019 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना के उत्तर में पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिन के भीतर उत्तर दायर करें। सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अंतिम तारीख दो सप्ताह तक बढ़ाई गई थी। मैसर्स अजंता ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई विस्तार अवधि के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से निर्देशित समय-सीमा के

भीतर 11 सितंबर, 2019 को अपने उत्तर दायर किए। प्राधिकारी मानते हैं कि इस जांच में प्राधिकारी द्वारा दिए गए विस्तार के विशेष निर्देश के निमित्त मैसर्स अजंता एलएलपी सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तरों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

v. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में दो प्रशुल्क शीर्ष अर्थात 70042011 और 70042019 शुल्क तालिका में उल्लिखित किए गए थे जिनमें यह प्रावधान था कि संबद्ध सामानों का आयात अन्य प्रशुल्क शीर्षों के तहत भी किया जा रहा है और यह कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है, तथापि सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 मार्च, 2015 में केवल दो प्रशुल्क शीर्ष अर्थात 70042011 और 70042019 उल्लिखित थे और कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। जैसा कि नियमावली के नियम 23 से सिद्ध है, समीक्षा जांच लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा होती है। इस मामले में, दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क दो एचएस कोड अर्थात 70042011 और 70042019 के तहत आयातित "शीट ग्लास" पर लगाए गए थे और इसीलिए निर्णायक समीक्षा भी इन दो एचएस कोडों के तहत "शीट ग्लास" के आंकड़ों से संबंधित है।

vi. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.11.2015 के निर्णय के पैरा 13 और 14 में निम्नलिखित रूप में माना है:

"13. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में न्यायालय का यह मत है कि उत्तरदाता प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा आयातित उन सामानों के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मांग करने का कानून में कोई अधिकार नहीं है जो दिनांक 13.03.2015 की अधिसूचना संख्या 07/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) में उल्लिखित प्रशुल्क मदों के तहत नहीं आते। इन परिस्थितियों में खंडित मांग सूचना तथा दिनांक 30.03.2015 का पत्राचार संधारित नहीं किया जा सकता।

14. उपर्युक्त कारणों से याचिका सफल होती है और तद्नुसार उसकी अनुमति दी जाती है। एतदद्वारा यह माना जाता है कि प्रशुल्क मद संख्या 70049099 के तहत वर्गीकृत चीन जन. गण. से ग्लास शीटों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग करने में कोई उत्तरदाता संख्या 2 से 4 की कार्रवाई क्षेत्राधिकार के बिना और कानून के प्राधिकार के बिना है। तद्नुसार, खंडित मांग सूचना दिनांक 24.04.2015 और पत्र दिनांक 30.03.2015 को एतदद्वारा रद्द किया जाता है तथा अलग किया जाता है। नियम तद्नुसार बनाया जाता है जिसमें लागत नहीं दी जाएगी।

vii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किए हैं कि उपर्युक्त निर्णय पक्षकार विशिष्ट है। उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि आईटीसी एचएस 70049099 के तहत पाटनरोधी शुल्क, जो दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) में शामिल नहीं है, का संग्रहण का कानून में कोई अधिकार नहीं है। यह निर्णय उस अधिसूचना पर पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण के क्षेत्र के संबंध में निर्देश है जो कि पक्षकार विशिष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के अनुरोधों के संबंध में कि वित्त मंत्रालय अन्य आयातकों से शुल्क एकत्रित करता जा रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क केवल दो एचएस कोडों पर ही एकत्रित किया गया था जिन पर दिनांक 13 मार्च, 2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

viii. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त निर्णय को न तो घरेलू उद्योग द्वारा और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा चुनौती दी गई थी। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच में केवल उन्हीं सामानों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क जारी रहने की जांच के लिए विचार किया जा सकता है जिनका पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने का दायित्व है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की स्थिति में घरेलू उद्योग या तो प्रवंचना/मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) जांच के लिए प्राधिकारी से अनुरोध कर सकता था अथवा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता था। चूंकि, इनमें से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, अतः प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा करने के क्षेत्र के लिए दिनांक 13.03.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के दो आईटीसी शीर्षों पर ही विचार किया है।

ix. उत्पाद क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों के संदर्भ में और प्रकटन विवरण के पैरा 17 और 19 में विरोधाभास है, इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि जैसा कि प्रकटन विवरण के पैरा 19 में, वर्तमान निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की अधिसूचना में पहले ही उल्लेख किया गया है, विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के अनुसार माना गया था। चूंकि, वर्तमान जांच दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर वास्तविक रूप से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ही है। अतः आठ अंकीय स्तर पर इस निर्णायक समीक्षा के प्रयोजन के लिए संबद्ध सामानों का वर्गीकरण केवल दो शीर्षों अर्थात 70042011 और 70042019 तक ही सीमित है जिन पर 04 नवंबर, 2015 के माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश और राजस्व विभाग की 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के मद्देनजर पाटनरोधी वास्तविक रूप से एकत्रित किया गया है।

x. प्रकटन विवरण में उल्लिखित आरओसीई के लिए आंकड़ों की पुनः जांच कर ली गई है और सही पाए गए हैं।

xi. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भ कीमत शुल्क सामान्यतः उन मामलों में उपयुक्त है जहां विभिन्न उत्पादन नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) में लिए गए कई ग्रेड/मॉडल होते हैं जिनमें भी कीमत में परस्पर अंतर हो। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल सहयोगी उत्पादक ने जांच की अवधि में निर्यात नहीं किया है और उससे संबंधित उपाय की डीजीसीएस में संकलित जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों के संबंध में पाटन और क्षति के निमित्त सिफारिश की जा रही है। ऐसी स्थितियों में जांच की अवधि के आंकड़ों के आधार पर संदर्भ प्रारंभ की मात्रा बताना तथा सिफारिश करना व्यवहार्य नहीं है और इसीलिए प्राधिकारी ने सिफारिश की है कि उसकी मात्रा और स्वरूप क विद्यमान उपाय को जारी रखा जाए।

निर्यातक एवं आयातक

xii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक/आयातक ने केवल वर्तमान निर्णायक समीक्षा के क्षेत्र के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है जिस पर प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है और हल किया गया है।

थ. निष्कर्ष

86. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा क्षति के जारी रहने की संभावना के विश्लेषण सहित उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन विवरण पश्चात अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद के आयात जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान कम हुए हैं, तथापि, जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात बढ़े हैं।

ख. पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ग. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की काफी क्षमताएं हैं और अत्यधिक निर्यातोन्मुखता है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो विचाराधीन उत्पाद का पाटन संबद्ध देश से और गहन होने की संभावना है। यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है।

घ. इस प्रकार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को संभावित क्षति समाप्त करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

द. सिफारिश

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरूआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संपर्क के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

88. यह निष्कर्ष निकालने पर कि यदि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की अनुमति दी जाती है तो पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क, पाटन और क्षति की संभावना संबंधी सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों पर शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है।

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और जांच की अवधि के बाद की अवधि में पाटन एवं क्षति की संभावना के आधार पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की जा रही है। अतः सहयोगी एवं असहयोगी, दोनों उत्पादकों/निर्यातकों के लिए दिनांक 13 मार्च, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के अनुसार 63 अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन का मौजूदा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की सिफारिश की जाती है। अत: प्राधिकारी चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क उन्हें लगाए जाने की तारीख से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	7004 2011 व 7004 2019	शीट ग्लास	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई अन्य	कोई अन्य	63	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2	7004 2011 व 7004 2019	शीट ग्लास	कोई अन्य	चीन जन. गण.	कोई अन्य	कोई अन्य	63	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3	7004 2011 व 7004 2019	शीट ग्लास	चीन जन. गण.	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	63	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

90. इन जांच परिणामों के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21th February, 2020

FINAL FINDING

Subject: Sunset Review of Anti-Dumping Investigation concerning imports of 'Sheet Glass' originating in or exported from People's Republic of China.

F.No.7/10/2019-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules"), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had initiated the Sunset Review Investigation vide Notification No.7/10/2019-DGTR

dated 17th July, 2019 to review the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty (ADD) in respect of the Subject Goods, originating in or exported from China PR and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry (DI).

A. Background

1. The Authority received an application dated 19th June, 2019 from M/s. Emerge Glass India Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the Applicant) requesting for the initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty (ADD) under the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules") on imports of 'Sheet Glass', (hereinafter also referred to as Subject Goods or Product Under Consideration or PUC) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as Subject Country).

2. The original investigation was initiated on 20th December, 2013 vide File No. 14/22/2013-DGAD to examine the nature and extent of dumping and its injurious effect on the Domestic Industry (DI) with respect to Sheet Glass originating in or exported from China PR. The Authority vide its final finding No.14/22/2013-DGAD dated 19th December, 2014 recommended imposition of ADD against the dumped imports of the Subject Goods from the Subject Country. The duties were imposed by issuance of Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015 for a period of 5 years.

3. In terms of Section 9A (5) of the Act, ADD imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the DI, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. The Applicant filed an application dated 19th June, 2019 requesting initiation of Sunset Review of ADD earlier imposed and seeking continuation of duties against imports from China PR. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the Subject Goods and consequent injury to the DI.

5. The Authority decided to hold a discussion with the Applicant to understand the need for sunset review application. Accordingly, pre-initiation hearing was held on 11th July, 2019.

6. The Applicant accounts for almost 77% share in total domestic production. There is one more producer of the Subject Goods in India, viz. M/s. Bharat Glass Tubes Limited, having around 23% share in total domestic production, which has duly supported the applicant.

7. In view of the duly substantiated application with *prima facie* evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the DI and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the Sunset Review Investigation vide notification no.7/10/2019-DGTR dated 17th July, 2019 to review the need for continued imposition of ADD in respect of the Subject Goods, originating in or exported from China PR and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the DI.

8. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning imports of the Subject Goods, originating in or exported from the Subject Country.

B. Procedure

9. The review covers all aspects of Final Finding Notification No.14/22/2013-DGAD dated 19th December, 2014 which had recommended imposition of ADD on imports of Subject Goods originating in or exported from the Subject Country.

10. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

 i. The Director General, under the Rules, received a written application from the Applicant on behalf of the DI, requesting for continuation of ADD against the imports of Subject Goods from China PR.

 ii. On the basis of the duly substantiated application, the Authority issued Initiation Notification No.7/10/2019-DGTR dated 17th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Sunset Review of ADD imposed on imports of the Subject Goods originating in or exported from China PR.

iii. The Embassy of the Subject Country in New Delhi was informed about the initiation of the Sunset Review investigation in accordance with Rule 6(2) along with the copy of the initiation notification and non-confidential version of the application.

iv. The Authority forwarded copies of the notification to the known producers / exporters in the Subject Country (whose names and addresses were made available to the Authority by the Applicant) and provided an opportunity to make their views known in writing within 40 days from the date of the letter in accordance with Rule 6(2) and Rule 6(4) of the Rules, i.e. till 4th September, 2019. On a request from producers/exporters from China PR, i.e. M/s. Shandong Guangyao Super-Thin Glass Co. Ltd. and M/s. Zhongwei International Industry Co. Ltd., the last date of submission of response was extended to 18th September, 2019.

v. The Authority forwarded copies of the notification to the following known producers/ exporters:

a) M/s. Xinmei Glass Products Co., Ltd. Jiaozuo City, Henan, China

b) M/s. Shandong Guangyao Super-Thin Glass Co., Ltd., Shandong, China

c) M/s. Anhui Tongxian New Material Co Ltd., Anhui, China

d) M/s. Jiangxi Pingxiang Phoenix Sheet Glass Co Ltd., Jiangxi, China

e) M/s. Doungguang Aixin Glass Product Co.Ltd., Zhaowang Town, Hebei Province, China

f) M/s. Shandong Yuankai Super-Thin Glass Co.Ltd., Shandong Yuankai, China

vi. The following producer and exporter from China PR filed a response to the exporter questionnaire:

a) M/s. Shandong Guangyao Super-Thin Glass Co. Ltd.

b) M/s. Zhongwei International Industry Co. Ltd.

vii. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known importers/ consumers of Subject Goods in India (whose names and addresses were made available to the Authority by the Applicant) and advised them to make their views known in writing within 40 days from the date of issue of the letter, in accordance with the Rule 6(4):

a) M/s. Ajanta LLP, Orpat Industrial Estate, Rajkot Highway, Gujarat

b) M/s. Ajanta Manufacturing Pvt. Ltd., Orpat Industrial Estate, Highway, At Morbi, Gujarat

c) M/s. Almighty Exports, Plot No. G-2155 Road No. 1H, Kishan, Gate Lodhika Gidc Metoda, Rajkot, Gujarat

d) M/s. Alpha Enterprise, Flat No. 603, Labhlaxmi Apartment,Swastik Society, Sanala Road Ahmedabad Gujarat

e) M/s. Empire Impex, 2, Lucky Mansion, 46/50, Mirza Galib, Marg, Byculla, Mumbai

f) M/s. Empire Industries, 2 Madhu Industrial Estate, Mogra Village, Andheri East, Mumbai, Maharashtra

g) M/s. K K Impex, Building No.42, New DLF Industrial, Phase-1, Haryana

h) M/s. Nikhil Industries, No.540, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu

i) M/s. Panchnath Traders, 1, Parsana Society, 80 Feet Road, Rajkot

j) M/s. Q Events Pvt. Ltd., 60-C, Kl pocket-D SFS Flats, Mayur Vihar Phase-III

k) M/s. Ramachandra Reddypropram Industries, No.693, Thirupalya, Bommasandra. Post, Bangalore, Karnataka

l) M/s. Vyline Glass Works Ltd., 107, Famous Cine Studio Building, ,20, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi Mumbai

viii. Only one importer/ consumer, named M/s. Ajanta LLP of the PUC, responded to the importer questionnaire of the Authority and requested to be treated as an interested party in the investigation. However, they did not file the importer questionnaire according to the format provided by the Authority.

ix. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April 2018-March 2019 (12 months). The injury analysis period covers 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the POI. The post-POI period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

x. Transaction-wise imports data for the POI and the preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems (DGS). The Authority has, relied upon data of DGCI&S, DGS and the data of the cooperative producer and exporter for calculating the volume and value of imports of the Subject Goods in India.

xi. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the Non-Injurious Price (NIP) of the Subject Goods in India under normal course of trade based on the information furnished by the DI. The cost to make and sell the Subject Goods in India based on the information furnished by the DI on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to DI.

xiii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 30th September, 2019. The parties were given an opportunity to file written submissions of the views expressed orally by 7th October, 2019, followed by rejoinder submissions by 15th October, 2019.

xiv. A second oral hearing on 18th December, 2019 was also conducted in this investigation due to the Designated Authority having been changed in compliance of the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the matter of *Automotive Tyre Manufacturers Association v Designated Authority,* (2011) 2 SCC 258 dated 7th January, 2011. The parties were given an opportunity to file written submissions of the views expressed orally by 23rd December, 2019, followed by rejoinder submissions by 27th December, 2019.

xv. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this finding.

xvi. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Finding to the extent possible and verified on the spot the data / documents given by the DI and producer/exporter to the extent considered relevant and necessary.

xvii. A Disclosure Statement was issued on 30th January, 2020 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 6th February, 2020 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.

xviii. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this Final Finding on the basis of the facts available.

xx. *** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$ 1= ₹69.91.

C. <u>Scope of Product Under Consideration (PUC) and Like Article</u>

<u>Submissions by the Domestic Industry</u>

11. The DI has made the following submissions with regard to the scope of the Product Under Consideration (PUC) and like article:

i. The PUC for the purpose of the present investigation is the same as in the original investigation, i.e. Sheet Glass. As per the consistent practice of the Authority, the custom classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope or for the imposition of ADD.

ii. The PUC is produced by using horizontally lehr. The glass is taken directly from the free surface of the melt and the edges of the sheet are stabilized by driving the glass upward using rotating bodies. The molten glass passes from the glass furnace to a vertical drawing machine to a height of about 1,000 MM from where the formed glass is converted into glass sheet by horizontal flow. Once the sheet has been formed it is bent over a polished metal roll and is carried away horizontally into a lehr. Sheet glass production process is completely different from that of float glass where a sheet of glass is made by floating molten glass on a bed of molten metal, typically tin. This method gives the sheet uniform thickness and extremely flat surfaces.

iii. The DI has submitted that since the present investigation is a sunset review investigation, the PUC remains the same as defined in the previously conducted investigation as no significant developments have taken place over the period. Therefore, the DI refers to and relies upon the previous investigation with regard to the PUC.

iv. The product scope in an anti-dumping investigation is not bound by the HS codes/ Tariff classifications mentioned in the findings but the same is governed by the definition of the PUC as defined in the relevant finding. It is a matter of record, the Authority while issuing its final findings mentioned two tariff headings i.e., 70042011 and 70042019 in the duty table. However, the duty table also contained a proviso that the tariff classifications are for indicative purpose only and the imports shall be governed by the product scope as defined in the findings.

v. Ministry of Finance has fully accepted the recommendations of the Authority and the findings have to be read as an integral part of the customs notification. Further, the inclusion of correct tariff headings would not in any way mean that the scope of the investigation has been enlarged so long as the description of the PUC remains the same. It would not be out of place to mention that the Authority has done such amendments with respect to customs classification in the duty table in the past as well. In this regard, reliance is placed upon Anti-dumping investigations involving imports of Sewing Machine Needles, originating in or exported from China PR. [F.No. 15/02/2016-DGAD, dated 23.05.2017] wherein similar amendment in the duty table was made by the Authority.

vi. Without prejudice to the above, it has been the consistent approach of the Authority to examine all aspects of the original investigation in a sunset review investigation. Further, the initiation notification in the present case also states that the review will cover all aspects of Final Finding Notification No.14/22/2013-DGAD dated 19th December, 2014 recommending imposition of ADD on imports of Subject Goods originating in or exported from the Subject Country.

vii. The present issue is not where the Authority is broadening the scope of the investigation but it is one where certain HS codes are required to be included in order to cover the product expressly and extensively determined by the Authority. It is submitted that once the Authority determines the product scope, the same cannot be limited by tariff classification as long as an import entry is covered by the product scope defined by the Authority.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

12. The submissions made by M/s. Ajanta LLP with regard to the scope of the PUC or like article are as follows:

i. In the original final finding dated 19th December, 2014 issued by the Authority with respect to the investigation, the recommendation for imposition of duties was made with respect to the tariff items 70042011 and 70042019, with a note that stated as follows:

The subject goods are also being imported under other tariff headings such as 70031290, 70031990, 70033090, 70042099, 70049019, 70049099, 70052110, 70053090, 70091090, 70091010, 70099100, 70119090 etc. However, the customs classification is indicative only and is not binding on the scope of this investigation.

ii. The Ministry of Finance received various representations from interested parties and imposed duties on two identified customs tariffs, i.e. 70042011 and 70042019.

iii. The limited scope of the PUC cannot be broadened in the sunset review investigation and must be limited to the scope of the PUC which is subject to ADD. Therefore, the scope of the sunset review investigation and the PUC therein should be limited to the two identified customs tariff items, i.e. 70042011 and 70042019 only, *qua* which duties were imposed as per the Customs Notification No. 07/2015-Customs(ADD) dated 13th March, 2015.

iv. In the case of *Ajanta Pvt. Ltd. v. Union of India*, the Hon'ble Gujarat High Court observed,

"While it is true that the designated authority in its final findings has below the table put a note stating that the subject goods were also being imported under other tariff headings as detailed thereunder and that the customs notification is indicative only and is not binding on the scope of that investigation. However, the Central Government after considering the recommendations made by the designated authority, has not thought it fit to include the said note in the notification dated 13-3-2015. In so far as the notification dated 13-3-2015 is concerned, the definitive anti-dumping duty is imposed only on sheet glass bearing Tariff Item Nos. 7004 20 11 and 7004 20 19.

[.]

In the light of the above discussion, this Court is of the view that the respondent authorities have no authority in law to demand definitive antidumping duty in relation to the goods imported by the petitioner which do not fall under the Tariff Items mentioned in the Notification No. 7/2015-Customs (ADD), dated 13-3-2015."

v. The observation made by Hon'ble CESTAT in *Apar Industries Ltd. v. Designated Authority*, 2006(200) E.L.T. 34 (Tri. Del.) in as follows:

"It seems that the sunset review by its very nature, would be limited to see as to whether conditions which existed at the time of imposition of anti-dumping duty have altered to such an extent that there is no longer justification for continued imposition of duty or ascertain that if such duty is revoked there is imminent danger of the material injury to domestic industry. The inquiry is limited to the change in the various parameters like normal value; export price, dumping margin, fixation of non-injurious price and injury to domestic industry. The sunset review is undertaken for the purpose of not for imposition of anti-dumping duty but to see whether the revocation of such anti-dumping duty, dumping would increase and whether the domestic industry will suffer."

Examination by the Authority

13. The PUC in the present sunset review investigation is Sheet Glass.

14. The present investigation being a sunset review investigation, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original investigation. The PUC as defined in the original investigation is as follows:

"4. The product under consideration in the present investigation is Sheet Glass, originating in or exported from China PR. It is produced by using horizontally lehr. The glass is taken directly from the free surface of the melt and the edges of the sheet are stabilized by driving the glass upward using rotating bodies. The molten glass passes from the glass furnace to a vertical drawing machine to a height of about 1000 MM from where the formed glass is converted in to glass sheet by horizontal flow. Once the sheet is formed, it is bent over a polished metal roll and carried away horizontally into a lehr. Float glass, figured and wired glass are not covered within the scope of Product under Consideration.

15. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in the PUC exported from the Subject Country and the product being produced by the Indian industry. The Subject Goods produced by the DI is comparable to the PUC in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers use the two interchangeably.

16. The Authority holds that the product produced by the Applicant is like article to the PUC as mentioned in the paragraphs above, in accordance with the Rules. The Subject Goods produced by the Applicant are treated by the Authority as like article to the Subject Goods imported from the Subject Country, within the meaning of Rule 2(d) of the Rules.

17. With regard to the submission by the importer that the scope of the investigation should not exceed the original imposition of duties which was only limited to customs tariff items, i.e. 70042011 and 70042019, the Authority notes that in an anti-dumping investigation the duties are imposed vis-à-vis a product or Subject Good, instead of on particular customs headings. For this reason, the Authority invariably in all cases makes a specific mention that the "customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the investigation".

18. However, In the matter of *Ajanta Pvt. Ltd. v. Union of India* quoted above, the Hon'ble Gujarat High Court had stated that in the absence of the customs notification containing specific tariff headings, the department concerned had no authority in law to demand or collect ADD with respect to such goods which do not fall

under the Tariff Items mentioned in the Notification No. 7/2015-Customs (ADD), dated 13-3-2015. The Authority notes that neither the DI nor the Department of Revenue had challenged this order.

19. The PUC in the Original Investigation and the present sunset review remains sheet glass. The PUC is classified under the heading "Glass and Glassware" in Chapter 70 and further under 7004.20. The Authority further notes that in the initiation notification of the present sunset review, the PUC was considered as per the original investigation. However, based on the submissions of the interested parties and the facts available on record, the Authority notes that the present investigation is only a sunset review of the ADD actually imposed on the imports of Subject Goods from Subject Country vide Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015. Hence, the classification of the Subject Goods for the purpose of this sunset review at 8-digit level is 70042011 and 70042019.

D. Domestic Industry and Standing

Submissions by the domestic industry

20. The DI made the following submissions with regard to eligibility of the DI and standing:

i. The Applicant is not related to any exporter or importer of the Subject Goods in the Subject Country and importers in India either directly or indirectly.

ii. The Applicant accounts for "a major proportion" of Indian production. The applicant satisfies the requirement of standing to file the present application and constitute "Domestic Industry" within the meaning of the Rules. This is without prejudice to the legal position that standing is not required to be examined at the stage of sunset reviews.

iii. The Applicant accounts for almost 77% share in the total domestic production. There is one more producer of the Subject Goods in India viz. M/s. Bharat Glass Tubes Limited, having around 23% share in the total domestic production which has duly supported the applicant.

iv. The Applicant, along with the supporter, accounts for 100% of the domestic production, thereby constituting eligible DI, as defined in Rule 2(b) of the Rules.

Views of the opposing interested parties

21. If the original investigation took into account Bharat Glass Tube Limited's data, the sunset review must also be based on its data for comparison of the two time periods.

Examination by the Authority

22. The application has been filed by M/s. Emerge Glass India Pvt. Ltd. along with the supporter M/s. Bharat Glass Tubes Limited. Later, the Authority directed the Applicant to file relevant data for M/s. Bharat Glass Tubes Limited. The relevant data was filed by the Applicant as directed.

23. It is noted that M/s. Emerge Glass India Pvt. Ltd. started production in the year 2016. M/s. Emerge Glass India Pvt. Ltd., along with supporter, accounts for 100% of the total Indian production. The Applicant has certified that they are not related to any exporter or importer in India.

24. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the Applicant satisfies the standing requirements for the Subject Goods and constitutes DI under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. Issues relating to Confidentiality

Submissions by the domestic Industry

25. The DI made the following submissions with regard to confidentiality:

i. Only such information has been claimed as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the Rules and as per consistent practice of the Authority.

ii. The Applicant has provided sufficient non-confidential version of the application and that none of the interested parties has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the Rules.

iii. Information such as volume of exports to India, gross volume of sales in domestic market, production, sales, average price for exports to India have been provided in an indexed version as the information is business proprietary information.

iv. The responding exporters have resorted to excessive and unwarranted confidentiality by claiming confidentiality even on the quantities exported to India, total production of the Subject Goods and

their disposal in the domestic market and exports to other countries in the non-confidential version of the exporters' questionnaire response.

v. The cooperating exporter has not filed the non-confidential version of the application adhering to the guidelines of Trade Notice No. 10/2018.

Views of the opposing interested parties

26. No submissions were made by the other interested parties with regard to confidentiality.

Examination by the Authority

27. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority was examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

28. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing the non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7) and Trade Notice No. 10/2018.

F. Miscellaneous Submissions

Submissions by the domestic industry

29. The DI made the following submissions:

i. Despite the imposition of duties, the PUC is still being exported to India at dumped prices from the Subject Country.

ii. The DI has been able to perform well only on account of the duties imposed by the Authority.

iii. The Applicant has established its plant in 2015-16 and came into commercial production in 2016-17. The Applicant has been able to acquire satisfactory market share only because of the protection provided by the Authority in the form of ADD.

iv. Cessation of duties would lead to substantial loss in terms of market share and revenue to the DI.

v. Chinese exporters have strategically increased their prices while decreasing their exports to India in last two years to affect the outcome of the present proceedings.

vi. The Chinese producers have already started exporting the Subject Goods at substantially low prices in the post-POI period. Further, there has been an increase in the volume of imports from China in the same period.

vii. The likely dumping margin and injury margin computed on the basis of the commercial invoice of a Chinese producer is quite significant and shows the kind of injury DI would suffer in case the duties are revoked.

viii. The participating exporters have not filed Appendices 5, 6, 7, 8 and 10, duly signed by the practising accountant as per Trade Notice No. 5/2018 dated 28th February, 2018.

ix. It is a settled position of law that causal link analysis is not mandatorily required to be done in sunset review investigations. The test for extension of the period of duties under Section 9A (5) is only to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

x. It is absolutely not necessary that dumped imports must be the sole or even the principal cause of injury.

xi. M/s Ajanta LLP has neither filed a questionnaire response nor have they made any request to the Authority for getting registered as an interested party in the format and timeline prescribed in Trade Notice No. 11/2018. Therefore, the submissions made by M/s Ajanta LLP should be ignored.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

30. The producer and exporter have made the following submissions:

The producer and exporter have submitted that the present sunset review investigation should be terminated due to following reasons:

a. The imports from China PR have taken a drastic fall from 40,847 MT in 2015-16 to 4,160 MT in the POI. The Applicant's claim that the imports have been reduced as a finely crafted strategy of the Chinese exporters is flawed and baseless. Trade Notice No. 02/2017 dated 12th December, 2017, which provides a timeline for the application of a sunset review before 270 days of the expiration of the original duty was notified in December 2017, while the fall in imports started from the beginning of April 2017. The Applicant was fully aware of when it would file the application and has wilfully chosen to lower its sales price in the last two years to show injury in profit parameters.

b. Economic data represents glowing health of the DI. The Applicant's capacity, production, capacity utilization, sales value and sales realization per unit have increased over the injury period. Since buffer inventory maintained by an enterprise is increased to meet the increasing sales volume, the same is not an indicator of injury. The DI's employment levels, wages paid out and productivity have increased in the POI. Thus, there is no injury on this account. The landed value of the imports, without the addition of the ADD has been rising consistently, while the decrease in cost and increase in selling price of the Applicant is giving it the benefit of profitability.

c. The data submitted by the Applicant is inconsistent and must be treated with utmost caution and strict scrutiny. Losses are the highest when the cost is at its lowest, and the selling price is substantially high. No data pertaining to the post-POI period has been brought out by the Applicant. The landed value of the imports, without the addition of the ADD, has been rising consistently. The price underselling is also negative. There has been active closure of existing plants in China PR and there are no excessive capacities. The cooperating producer and exporter do not hold much inventory of the Subject Goods, but rather sell the same in the domestic market and / or third country export markets. The domestic selling price of the Subject Goods in China PR and the export price of the Subject Goods to third countries are higher than the export price of the Subject Goods to India. The likelihood analysis has been made on the basis of one commercial invoice which is devoid of any logic.

d. The Applicant has not claimed or made out a case for establishing continued injury owing to the imports from the Subject Country. The volume of the subject imports has declined substantially in both absolute terms and in terms relative to production and consumption; and in relation to total imports into India.

e. There is no likelihood of recurrence of dumping and/or injury to the DI.

Examination by the Authority

31. Regarding the DI's contention that the submissions made by M/s Ajanta LLP may be ignored, it is stated that as per clause (iv) of Trade Notice No. 11/2018 dated 10th September, 2018, "*an interested party which has registered itself within the Authority within the timelines prescribed in clause (i) above, but does not file a questionnaire response, this shall not prevent such interested party from participating in other stages of the investigation by filing legal submissions, attending public hearing, filing disclosure comments etc.*".

32. The Authority has collected import data for the PUC, primarily for two heads, viz. 70042011 and 70042019 from DGCI&S and DGS.

33. The specific submissions made by the opposing parties which are considered relevant have been addressed by the Authority in relevant paragraphs below.

G. Assessment of Dumping – Methodology and Parameters

Submissions by the Domestic Industry

34. The DI has made the following submissions with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin:

i. The Applicant has determined normal value in the Subject Country as per procedure described in Para 7 of Annexure I to the Rules.

ii. The Applicant has stated that in terms of Para 8 of Annexure I of the Rules, China has to be presumed to be a Non-Market Economy Country unless the concerned firms/ producers/ exporters are able to rebut the said presumption based on the criteria spelt out in Para 8(3). They have claimed that this is also in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities

in other countries. The Applicant has submitted that China PR should be treated as non-market economy for the following reasons:

a. None of the Chinese producers has claimed market economy treatment and have not filled the requisite questionnaire.

b. Market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS).

c. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the Rules.

d. It is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

e. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim.

f. It has been submitted that the normal value for China in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7 of the Annexure I to the Rules without invoking proviso to 8(2) in view of the aforementioned facts and circumstances.

g. The normal value in China can thus be determined on the basis of (a) import price from third country into India, (b) selling price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. It is also submitted that since these options for determination of normal value are available, the Authority may not kindly consider "any other basis" because this is required to be applied only when the basis listed under the law cannot be applied.

h. Para 8(2) of Annexure-I leaves no choice for the Authority but to presume China to be a Non-Market Economy country. However, the same is open to rebuttal by the Chinese firms under the provision of Para 8(3).

i. The Authority is a creation of the statute and has to perform its obligations and exercise the powers as specifically assigned to it under the specific provisions of the statute. Therefore, unless the provisions of Para 8 are amended, it is imperative for the Authority to operate as per the procedure mentioned in Para 8 and presume China as a Non-Market Economy country.

j. The significant extent of continued government intervention in certain important sectors of the Chinese economy warrants maintaining China's designation as a Non-Market Economy country. It is a known fact that China's economy is controlled by the state forces and there is a significant interference and control of the state machinery in the country's economy. The grant of Market Economy status under China's accession to the WTO is not automated but contingent upon China's compliance with the preconditions mentioned in the Accession Protocol.

iii. The Applicant has relied upon import data provided by DGCI&S for determining export price. The Applicant has adjusted export price for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at *ex*-factory export price.

iv. Questionnaire response filed by producers/exporters are grossly deficient and not filed in terms of the latest trade notice.

v. DI has constructed the normal values in respect of the Subject Country as documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the Subject Goods in the Subject Country is ot available in the public domain.

vi. For fair comparison between Normal Value and Export Price, the Applicant has arrived at the *ex*-factory export prices by adjusting export price for ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, etc.

vii. The Applicant has accordingly arrived at the Dumping Margin based on the above computed normal value and the export price.

Views of the opposing interested parties

35. The exporters have submitted that the export price of the Subject Goods exported by them to India should be determined on the basis of data in the exporter's questionnaire response submitted by it to the Authority.

Examination by Authority

36. According to Section 9A (1) (c) of the Act, 'Normal Value' in relation to an article means:

(i) *"comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

37. Upon initiation, the Authority sent questionnaires to the known exporters from the Subject Country, advising the producers/ exporters in the Subject Country to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their normal value and export price. Responses were received from a producer of China PR i.e. M/s. Shandong Guangyao Super-Thin Glass Co. Ltd. and an exporter of China PR, i.e. M/s. Zhongwei International Industry Co. Ltd.

H. Normal Value

38. The Authority observes that none of the producers/exporters has claimed market economy treatment, although a questionnaire was sent to them. Therefore, in view of Para 8 of Annexure I of the Rules, evidence cannot be evaluated. The Authority has determined the normal value in terms of Para 7 of Annexure I. No other specific suggestions were received from any of the interested parties.

39. Para 7 of Annexure I of the Rules provides as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

40. The Applicant has requested the authority to construct the Normal Value for China PR under Para 7 of Appendix –I to the Rules. Though one exporter, i.e. M/s. Shandong Guangyao Super-Thin Glass Co. Ltd. has cooperated in the investigation but it has not submitted any response to the questionnaire prescribed for market economy treatment. Hence, the normal value for the country under Para 1- 5 of the Appendix cannot be computed based on the responses of the above cooperative exporter. Under these circumstances, the Authority considers construction of the normal value under Para 7 of the Appendix. The prices or constructed value of the PUC in the market economy third country or the prices from such third country to other countries including India is also neither made available by the Applicant nor available to the authority from any public domain. Therefore, the Authority, in the absence of information from the above stated sources, decided to construct the normal value based on cost of production of the PUC in the exporting country along with reasonable addition for administrative, selling and general cost and for profit. Since, no data related to the cost of production of PUC in the exporting country is available to the Authority, it considers the cost of production of the Applicant as the cost of production in the country of export and added a reasonable addition for administrative, selling and general cost and for

profit. The Constructed Normal Values so determined for POI and post-POI by the Authority are US$ ***/MT and US$ ***/MT, respectively.

I. Export Price

41. During the POI, M/s. Shandong Guangyao Super-Thin Glass Co. Ltd, made export sales of *** MT for US$ *** through an unrelated party, M/s Zhongwei International Industry Co. Ltd. to India and *** MT for US$ *** to third countries. M/s Zhongwei International Industry Co. Ltd. is a trading company which did not produce the PUC. M/s Zhongwei International Industry Co. Ltd. did not have any domestic sales during the POI and exported goods to India directly. M/s Zhongwei International Industry Co. Ltd.'s exports to India in the POI did not include any exports under the ITC HS Codes 70042011 or 70042019, i.e. the two HS Codes on which ADD was levied vide Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015. In the post-POI (April-September, 2019), as per data of DGS, exports of M/s Zhongwei International Industry Co. Ltd. to India were *** MT, which included *** MT under the ITC HS Code 70042019 and no exports under the ITC HS Code 70042011.

42. The cooperating producer's exports to India through the unrelated cooperating exporter was on FOB basis. The cooperating producer has claimed inland freight and port handling charges (***% of FOB), whereas the cooperating exporter has claimed bank charges (***% of FOB) and credit cost (***% of FOB). Selling & General Administrative expenses and profit of the exporter have not been considered for exclusion, since the exporter is unrelated to the producer and earned profit during the POI. A transaction-wise analysis of the DGS data indicates that M/s. Zhongwei International Industry Co. Ltd. did not export the PUC either under HS 70042011 or HS 70042019, to India during the POI, but in the post-POI there were some exports to India under the HS Code 70042019. Accordingly, the Net Export Price for the cooperating producer/exporter has been worked out for post-POI as US$ ***. In the absence of specific reliable information from the cooperating exporter on VAT in the post-POI, the export price has been taken net of VAT @***%.

43. For all other producers/exporters of China PR, who did not cooperate in the investigations, for the computation of Net Export Price and in the absence of specific information, details as submitted by the DI have been taken, viz. ocean freight (US$ ***/MT), marine insurance (***% of CIF), inland freight (US$ ***/MT); port handling expenses (***% of CIF), sales commission (***% of FOB), bank charges (***% of FOB) and credit cost (Rs. ***/MT). The export price for all other exporters has been taken net of VAT (***%). The volume of exports of all other producers/exporters have been derived by subtracting the export volume of the cooperating exporter from the total export volume as per DGCI&S data. Based on the above, the Net Export Price for all other exporters has been worked out as US$ ***/MT during POI and US$ ***/MT during post-POI.

44. The Authority cross-checked sample export invoices of cooperative producer/exporter with the DGS data as part of the desk study to correlate quantities and prices.

J. Dumping Margin

45. Considering the normal value and export price as above, the dumping margin for all exporters of the Subject Goods from the Subject Country is determined as given in the Table below. Post-POI refers to April-September, 2019 period.

Particulars	Cooperating Exporter	All Other Exporters	
	Post-POI*	POI	Post-POI
CNV (US$/MT)	***	***	***
Export Price	***	***	***
Dumping Margin (US$/MT)	***	***	***
Dumping Margin (%)	***	***	***
Dumping Margin (% Range)	80-100	220-240	180-200
* In the POI the cooperating exporter did not export the PUC either under HS 70042011 or HS 70042019, to India.			

K. Assessment of Injury

Views of the domestic industry

46. The DI has submitted as follows with regard to injury and causal link:

i. The cessation / discontinuance of ADD in force is likely to lead to recurrence of dumping and injury. In case the duties applicable on the imported goods from China cease to exist, the Chinese exporters would capture the Indian market causing significant injury to the DI.

ii. The productivity per day has increased during the injury period, including the POI, as compared to the base year on account of the protection from the Authority in the form of ADD against dumped imports from the Subject Country. Further, productivity *per se* is not a factor of injury to the DI.

iii. The level of dumping, volume of imports, various injury parameters, surplus capacities available with the exporters, inventories of the exporters and their prices to the world need to be examined not only during the post-POI but also over the injury period to evaluate the likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury. The analysis of dumping and injury to the DI is required to be made keeping in view the level of ADD in existence and the likely future behaviour of the exporters.

iv. A conclusion has to be reached whether there is no possibility of any continued dumping or injury or otherwise recurrence of dumping or injury to the DI from the dumped imports from the Subject Country before deciding not to extend the ADD.

v. The price undercutting on the basis of the import data available from DGCI&S was positive and substantial till 2016-17. However, the price undercutting became negative after 2016-17. The DI has reiterated that the Chinese exporters have craftly increased their prices to affect the outcome of the investigation. In fact, the prices from China have already taken a huge decline in post-POI period. The DI has attached a post-POI invoice of Chinese exporters to substantiate its claim that the Chinese producers have already reduced their prices in post-POI period. The DI has submitted that price undercutting in itself is not a factor of injury.

vi. The price underselling on the basis of the available data for the POI is negative. The same is on account of the protection of ADD provided by the Authority. However, the DI has submitted that the continued imposition of ADD in force is critical for the survival of the industry. The DI has submitted that in the event of cessation of duties, the prices of the imported Chinese goods are bound to decline causing serious injury to the DI.

vii. The DI has submitted that it is a settled position of law that causal link analysis is not mandatorily required to be done in sunset review investigations. In this connection, the DI has invited the attention of the Authority to the Appellate Body's decision in the case of *Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282/AB/R dated 2 November 2005).*

viii. The information relating to causal link as submitted by the DI is as follows:

a. The Subject Goods are predominantly imported from China. There has been some increase in imports from Iran as well lately.

b. The demand in the country has grown up over the injury investigation period. Hence, decline in demand is not a factor of injury to the DI.

c. There is a single market for the Subject Goods where dumped imports compete directly with the goods produced by the DI. The price determines the choice of the supplier. The dumped goods are substituting the product of the indigenous producer. The imported product is also sold to meet similar commercial grades, standards and specifications, as domestically produced Subject Goods. The imported goods and the domestically produced goods are like articles and are used for the same applications/end uses. Pricing is the most important factor for purchasing the article either from imported sources or domestic sources. The DI is not realizing reasonable selling price /profit with respect to Subject Goods. This can directly be attributed to the low priced imports from Subject Country as the DI is always expected to match the prices offered by the importers from the Subject Country. Moreover, the sheet glass industry operates under fairly competitive conditions with the prices being determined on the basis of the forces of demand and supply. It is the unfair pricing of the dumped goods from the Subject Country which is primarily and predominantly responsible for the unfair price pressure being created on the domestic producer leading to material injury to the DI. If imports take place at the fair normal prices, the DI is totally in a position to face competition from imports.

d. No trade restrictive practices or technology issues which can be attributed to the cause of injury to DI.

e. The productivity of the DI has remained almost static over the injury investigation period. Therefore, productivity is not a cause of injury to the DI.

f. DI has not exported the Subject Goods during the period of review. Accordingly, the question of injury to the DI due to the export's performance due not arise.

Views of the opposing parties

47. The submissions made by the opposing interested parties with regard to injury are as follows:

i. The DI has not claimed or made out a case for establishing continued injury owing to the imports from the Subject Country.

ii. There is no likelihood of recurrence of dumping and/or injury to the DI.

iii. The imports from China PR have fallen drastically from 40,847 MT in 2015-16 to 6,774 MT in 2017-18, and since then the imports have been at a constant decline. The imports have fallen to as much as 4,160 MT in the POI.

iv. The combined data of M/s Bharat Glass Tubes Limited and M/s Emerge Glass India Pvt. Ltd. needs to be considered for a holistic analysis of the economic parameters of DI for the purpose this investigation.

v. There is absence of injury to the DI and the economic parameters are healthy.

vi. The DI's price and profitability parameters have shown substantial improvement.

vii. The DI's domestic sales volumes have continuously and significantly increased in the injury period.

viii. Since the buffer inventory maintained has increased to meet the increasing sales volume and the same is not the indicator of injury.

ix. The number of employees has increased from *** to ***over the period of injury, commensurate with increased capacity.

x. There is no situation of continued injury as per the facts presented by the DI in the present investigation.

xi. There is no likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury.

xii. Volume of imports from the Subject Country has declined in relative terms.

xiii. Imports are not entering India at prices that may have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices.

xiv. The price undercutting from the subject country is significantly negative.

xv. Capacity in the Subject Country has reduced and there are no significant unutilised capacities in the Subject Country.

xvi. There exists no evidence of excess capacities in China PR.

xvii. The producer and exporter have quoted the Delhi High Court Judgment, *Kesoram Rayon v. The Designated Authority & Ors.* 2017(166) DRJ 417, wherein the Court affirmed the Authority's position that mere existence of excessive capacities is not enough evidence for likelihood of diversion of exports into India. A causal link between such likelihood and excessive capacities must be drawn.

xviii. No information is provided with respect to post POI period.

xix. Export price to third country is higher than the export price to India.

xx. The DI's data and assessment of extraneous factors for determining "likelihood of recurrence of dumping and injury" is inappropriate and merits rejection.

xxi. Injury, if any, is attributable to reasons other than imports such as decline in demand, suppressed pricing of the DI, Export price and dumping margin.

xxii. If the DI is suffering any injury, the same is due to other factors other than subject imports.

Examination by Authority

48. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

49. Since the Applicant, M/s Emerge Glass India Pvt. Ltd. had no commercial production in the base year 2015-16, while M/s Bharat Glass Tubes Limited was the sole producer, for the sake of consistency and to

facilitate comparison, the figures for both the Applicant, i.e. M/s Emerge Glass India Pvt. Ltd. and the supporter, M/s Bharat Glass Tubes Limited have been considered for injury analysis.

50. Rule 11 of the Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…."*. While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

51. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the DI shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the DI.

52. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the DI before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the Subject Country. For this purpose, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization and the magnitude and margin of dumping in accordance with Annexure – II of the Rules.

L. ASSESSMENT OF DEMAND

53. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales and captive consumption of the Applicant and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI	Post-POI (A)
Sales of DI incl. captive	MT	***	***	***	***	***	***
Sales of Emerge Glass (incl. captive)	MT	***	***	***	***	***	***
Sales of Bharat Glass (incl. captive)	MT	***	***	***	***	***	***
Imports from Subject Country	MT	9,897	4,010	157	148	327	655
Imports from Other Countries	MT	106	401	1,875	0	0	0
Total demand	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.0	309.8	320.0	288.6	125.7	251.4

VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

i. Import volumes and market share of imports

54. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI	Post-POI (A)
Import Volume							
Imports from Subject Country	MT	9,897	4,010	157	148	327	655
Imports from Other Countries	MT	106	401	1,875	0	0	0
Total imports	MT	10,003	4,411	2,032	148	327	655
Subject Country Imports in relation to							
Indian production	%	***	5	2	0	1	1
Demand	%	***	5	1	0	1	1

55. It is seen that imports of the PUC from the Subject Country reduced in terms of absolute numbers during the injury period and the POI. Thereafter, there was an increase. Similarly, imports of the PUC from the Subject Country as a proportion of domestic production and as a proportion of total demand too reflected a declining trend throughout the injury period and the POI, and increased in the Post-POI.

M. PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS

56. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

57. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the DI, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the DI were determined at the *ex*-factory level.

58. Price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports with the domestic selling price in India of the Subject Goods during the POI. It would be seen that the landed price of imports was lower than the net selling price of the DI since 2017-18, through the post-POI.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI	Post-POI (A)
Landed Price of Imports	Rs./MT	19,298	22,357	11,417	16,449	17,206	17,206
Net Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	Range (%)	(0)-(20)	(0)-(20)	80-100	20-40	20-40	20-40

Price Suppression and Depression

59. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the DI for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value to see the desired effect. The details are as under:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI	Post-POI (A)
Landed price of Imports -Subject Country	Rs/MT	19,298	22,357	11,417	16,449	17,206	17,206
Trend	Indexed	100	116	59	85	89	89
Cost of sales of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	93	106	101	101
Selling price of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	116	117	113	113

60. The following is observed:

i. The landed price of imports was above the selling price of the DI in the first two years of the injury period and thereafter it has been lower than the latter.

ii. The landed price of imports was below the cost of sales of the DI in 2015-16, 2017-18, POI and post-POI.

ii. Price Underselling

61. Price underselling has been evaluated by comparing the Non-Injurious Price (NIP) with the landed value of the Subject Goods. The Authority notes that price underselling is an important indicator of assessment of injury. The NIP has been determined considering the cost of production of the DI for the PUC during the POI, in accordance with Annexure III of the Rules.

62. The landed price of the Subject Goods from the Subject Country has also been computed considering the CIF price in India plus customs duty and surcharge thereon. It is observed that in the POI, the injury margin was positive for other exporters, both with and without ADD. The injury margin, with and without ADD, was positive for the cooperating exporter during the post-POI.

Particulars	UOM	Cooperating Exporter	All Other Exporters	
		Post-POI	POI	Post-POI
Without ADD				
Import Volume	MT	***	***	***
Landed Price of Imports	US$/MT	***	***	***
Non-Injurious Price	US$/MT	***	***	***
Price Underselling	US$/MT	***	***	***
	%	***	***	***
	Range	20-40	40-60	40-60
With ADD				
Import Volume	MT	***	***	***
Landed Price of Imports	US$/MT	***	***	***
Non-Injurious Price	US$/MT	***	***	***
Price Underselling	US$/MT	***	***	***
	%	***	***	***
	Range	0-20	0-20	0-20

N. ECONOMIC PARAMETERS OF DOMESTIC INDUSTRY

63. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of alleged imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the DI should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

64. The various injury parameters relating to the DI are discussed herein below:

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volumes

65. The performance of the DI with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI (A)
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	261	261	261	261
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	100	100	100
Total Production	MT	***	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	457	478	507	490
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	105	111	107
Total Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	175	183	195	188
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	105	111	107

Domestic Sales incl. captive	MT	***	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	459	489	450	389
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	106	98	85
Domestic Sales excl. captive	MT	***	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	450	471	429	371
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	105	95	82

66. The Authority notes the following:

i. The DI, viz. M/s Emerge Glass India Ltd, came into existence in 2016-17. The supporter, M/s Bharat Glass Tube Ltd. was in operation prior to that too. The capacity installed by the DI and the supporter remained the same since 2016-17, through the injury period, including the POI, and in the Post-POI as well.

ii. The total production of DI, including the production of the PUC increased from the base year till the POI. However, it declined during post-POI.

iii. The trend for domestic sales of DI, both including captive and excluding captive, increased during the injury period, but declined during the POI and further in post-POI.

ii. Market Share in Demand

67. Market share of alleged dumped imports and DI have been examined as below:

Particulars	**UOM**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**POI**	**Post-POI**	**Post-POI (A)**
Sales of DI incl. captive*	%	***	***	***	***	***	***
Imports from Subject Country	%	35.6	4.7	0.2	0.2	0.9	0.9
Imports from Other Countries	%	0.4	0.5	2.1	0.0	0.0	0.0
Total Demand	%	100	100	100	100	100	100
* Since Emerge Glass India Pvt. Ltd. had no commercial production in the base year 2015-16, and M/s Bharat Glass Tubes Limited was the sole producer, for the sake of consistency and to facilitate comparison, the figures for both the Applicant, i.e. M/s Emerge Glass India Pvt. Ltd. and the supporter, M/s Bharat Glass Tubes Limited have been considered.							

68. It is noted that the market share of the DI, including captive consumption, has increased throughout the injury period, including the POI. However, there was a marginal decline in post- POI. The market share of the Subject Country declined over the injury period, including the POI, but increased in the Post-POI.

iii. Inventories

69. The data relating to inventory of the Subject Goods as shown in the following table indicates an increase in the POI and Post-POI as compared to the base year.

Particulars	**UoM**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**POI**	**Post-POI (A)**
Closing stock	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	100	127	954

iv. Profit or Loss, Cash Profits and Return on Investment

70. The profit/loss, cash profits and return on investment of the DI are as follows:

Particulars	**UOM**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**POI**	**Post-POI (A)**
Profit/(Loss)	Rs. Lakh	(***)	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	272	794	150	228
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	404	29	74
Cash Profit	Rs./MT	(***)	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	497	760	747	412
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	166	163	79
Return on Capital Employed	%	(***)	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	125	225	108	125
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	500	33	100

71. It is observed that the profit/(loss), cash profit and return on capital employed have improved from negative to positive in the injury period, but they declined in the POI and post-POI as compared to 2017-18.

v. Employment and Productivity

72. The details of employment and wages are given below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI (A)
No. of Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	180	181	190	186
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	101	105	103
Productivity /Employee	MT	***	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	254	264	267	262
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	104	105	104
Productivity /day	MT	***	***	***	***	***
Trend (2015-16)	Indexed	100	454	475	505	488
Trend (2016-17)	Indexed	-	100	105	111	107

73. The number of employees increased during the injury period and the POI but there was a marginal decline in the post-POI. Also productivity per day and per employee increased over the injury period and the POI but there was a marginal decline during post POI.

vi. Growth Rate

74. The base year for computation of growth rate is taken as 2016-17 as both the applicant and the supporting domestic producer were in operation during that year. The table below shows that the DI has registered positive growth in terms of both volume and price parameters, such as production, capacity utilization, market share, during injury period and POI and registered declining thereafter whereas domestic sales, profits, cash profits and return on investment have increased till 2017-18 but declined thereafter.

Particulars	UOM*	2017-18	POI	Post-POI (A)
Total Production	Indexed	5	6	-4
Domestic Sales incl. captive	Indexed	6	-8	-13
Total Capacity Utilization	Indexed	5	6	-4
Market Share of DI Sales, including captive	Indexed	2.8	2.1	-0.7
Profit/(Loss)	Indexed	304	-375	45
Cash Profits	Indexed	66	-3.4	-84.2
Return on Capital Employed	Indexed	400	-467	67
* The figures are the growth of the respective indices.				

O. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY:

75. The Authority observes that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if ADD was to be allowed to expire even if there is no current injury.

Views of the domestic industry

i. The DI has submitted evidence substantiating newly added capacities in China. This shows that there has been capacity enhancement in the production of Subject Goods in China PR.

ii. The DI was also able to get the prices offered by some of the Chinese exporters to the Indian customers. It is submitted that the prices quoted by the Chinese exporters are unrealistically low.

iii. The DI was also able to get the commercial invoice of the export made by one of the Chinese exporters to an Indian customer. The price at which the said Chinese exporter has sold the Subject Goods demonstrates the kind of impact the removal of duties might have on the DI. While the prices offered

are way below the cost of the DI, the DI apprehends that in the event the existing duties are revoked such a price would start prevailing Indian market.

iv. The price undercutting, price underselling, dumping margin computed on the basis of the post-POI import data is positive and substantial. This shows that the revocation of duties would lead to a disastrous condition of the DI.

v. As per the imports data sourced from info-drive, while the volume of imports in the POI was 4160 MT, in the 5 months of post-POI period alone the volume of imports has been 5871 MT. Further, the import prices in the post-POI period have also seen a constant decline. This clearly shows that the Chinese exporters have strategically reduced the volume of exports during the POI while also increasing the prices to affect the outcome of the present investigation.

Views of the opposing parties

76. The submissions of the cooperating producer and exporter, with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are summarized hereunder:

i. The DI has referred to import data from 'Info Drive', which is an unreliable secondary source, and cannot be considered accurate.

ii. The volume of the subject imports has also declined substantially in both absolute terms and in terms relative to production and consumption. The volume of subject imports has declined in relation to total imports into India as well as in relation to Indian production and consumption.

iii. No data pertaining to the post-POI period has been brought out by the Applicant.

iv. The Applicant's cost has reduced, and the selling price has increased. This shows that the Applicant's pricing is unaffected by the trends of pricing of the subject imports. There is clearly no signs of price suppression and depression.

v. The landed value of the imports, without the addition of the ADD has been rising consistently. The price underselling is also negative.

vi. The price undercutting from the Subject Country, China PR, is significantly negative. This means that:

a. The Applicant could have significantly increased their selling price if the market rates were a reflection of the Chinese prices;

b. The Applicant opted to keep its prices exceptionally lower than the value / price of imports or the Applicant was unable to raise its prices owing to factors other than volume and values of the subject imports;

c. The Applicant has suffered losses owing to these low prices at which it continued to sell, despite the Subject Country having significantly increased its prices. This is evident from its PBIT becoming negative at a time when import prices are significantly higher than Applicant's selling price;

d. The Applicant has willfully failed to identify the import prices from non-Subject Country, depriving the Authority as well as the cooperating exporter to compare Chinese prices to global prices or understand the pricing trends globally.

vii. There has been an active closure of existing plants in China PR. To control the capacities of glass and cement in China PR and to address concerns regarding pollution, the Government has been controlling and regulating their production since 2014. Therefore, there are no excessive capacities.

viii. The cooperating producer and exporter do not hold much inventory of the Subject Goods, but rather sell the same in the domestic market and / or third country export markets.

ix. The domestic selling price of the Subject Goods in China PR and the export price of the Subject Goods to third countries are higher than the export price of the Subject Goods to India. The cooperating producer has no commercial incentive to shift its domestic sales or exports to third countries to India in the event of revocation of ADD by India.

x. The likelihood analysis has been made on the basis of one commercial invoice which is devoid of any logic.

Examination by Authority

77. The Authority has considered various information, as made available by the DI and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

i. Post POI imports of PUC

Import Volume	UOM	POI	Post-POI	Post POI (A)
Subject Country	MT	148	327	655

78. For examining the Post-POI period imports into India, the Authority has obtained data from DGCI&S and from that it is observed that imports during Post-POI have increased when compared to POI.

ii. Capacity of the Exporter

79. The Authority is required to examine whether the exporting country has surplus capacity to export the PUC. The Subject Country should have capacity adequate to cater to its domestic requirement and any capacity over and above that is treated as capacity meant for export. The DI has also quoted ITC Trademap wherein it is stated that China has the highest export potential as far as HS 700420 is concerned. Further, the DI has submitted an email correspondence where the producer /exporter from China has stated that they have added one more production line of clear sheet glass.

iii. Attractiveness of India as a market

80. The Authority is required to establish that the price prevailing in the domestic market i.e. India is attractive for the exporter to divert the quantity exported to the third countries. The applicant has not submitted any data or information indicating that the price in the Indian market is more attractive than the prices prevailed in third countries. It can be seen that the landed value of imports is below the Cost of Sales and the Net Selling Price of the DI. The Authority has further examined the price of exports from the Subject Country to third countries, and it is found that the exporters of the Subject Country are exporting the PUC to a number of countries at prices lower than Indian prices, thereby clearly showing price attractiveness of Indian market. Data from ITC Trade Map is available at 6-digit and the same indicates that 51.6% of quantity of 700420 exported from the Subject Country was at a rate lower than that exported to India in 2018. In the event of cessation of ADD, the exporters in the Subject Country are likely to export the product in India at dumped pricing causing injury to the DI.

Particulars	UOM	China P.R. Post-POI
Landed Price of imports	Rs./MT	17,206
Net selling price of DI	Rs./MT	***
Cost of sales of DI	Rs./MT	***

iv. Inventories of the article being investigated

81. It is also vital to mention that inventories of the DI have been increasing in the injury period, in the POI and in the post-POI. The inventory of cooperative exporter from China is as under:

Particulars	Unit	2016	2017	2018	POI
Inventory	MT	***	***	***	***

P. POST DISCLOSURE COMMENTS

82. The post disclosure submissions have been received from the DI, M/s. Shandong Guangyao Super-Thin Glass Co. Ltd, who made export sales through an unrelated party, M/s Zhongwei International Industry Co. Ltd. to India (producer/exporter) and M/s Ajanta LLP (importer). The issues raised by these interested parties are largely repetitive and had been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity, the submissions made by the interested parties are examined below:

Comments by the DI

i. The disclosure statement was issued on 30th January, 2020 and time was allowed till 6th February, 2020 to the concerned interested parties to file submissions on this statement. The domestic industry vide

letter dated 3rd February, 2020 requested the Authority to provide additional time of 7 days to file comments to the disclosure. The Authority noted that since the existing Anti-Dumping Duty is in force only till 12th March, 2020 and, therefore, the pressing time lines require the final findings to be issued without delay so that the Central Government has adequate time to consider the recommendations of the Authority well before the expiry of the measure. Hence, the request for extension of time was not acceded to.

ii. The Domestic Industry then, through letter dated 6th February, 2020, provided its detailed comments on the Disclosure Statement as under:

a. The issues raised by them during the public hearing, written submissions and the rejoinder statement do not find mention and have not been dealt with appropriately in the Disclosure Statement.

b. Paragraph 19 of the Disclosure Statement, which states "*classification of the Subject Goods for the purpose of this sunset review at 8-digit level is 70042011 and 70042019*", is contradictory to the initiation notification, Authority's own observation in paragraph 17 and the consistent approach of the Authority in various investigations over the years. It is a settled position that the product scope in an anti-dumping investigation is not bound by the HS codes/Tariff classifications mentioned in the findings but the same is governed by the definition of the PUC as defined in the relevant finding. The Authority while issuing its final finding in the original investigation had mentioned two tariff headings, i.e. 70042011 and 70042019 in the duty table. However, the duty table also contained a proviso that the tariff classifications are for indicative purpose only and the imports shall be governed by the product scope as defined in the findings.

c. Paragraph 8 of the Disclosure Statement and the initiation notification mentions that the scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning imports of the Subject Goods, originating in or exported from the Subject Country. Therefore, it would not be appropriate for the Authority to limit the scope of the present investigation only to two tariff headings despite the uncontroverted fact that the PUC is being imported under other headings also. The fact that the PUC is being imported under various other headings is established from the import data of DGCI&S and can be confirmed from the Customs data also. Even the exporters have confirmed that they have exported the PUC under various headings other than those mentioned in the Customs Notification. Therefore, it is incumbent upon the Authority to include the imports of the PUC irrespective of the heading under which the same have been classified by the Customs at the time of import. There is no reason for the Authority to take a different approach from what is followed in all other cases.

d. Nowhere in its decision, the Hon'ble Gujarat High Court has restrained the Authority to limit the extension of duties only to the two headings mentioned in the Customs Notification. The said decision only directs the customs authorities not to collect ADD on the goods imported under the headings not covered by the Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015. The Hon'ble High Court has not passed any order altering the scope of the PUC. The Hon'ble High Court also did not, at any stage, rule that the goods not covered by the customs headings mentioned in the customs notification are excluded from the product scope. It was for this reason that neither the DI nor the Authority had been impleaded in the proceedings before the Hon'ble Gujarat High Court. Since the DI was not made a party to the proceedings before the Hon'ble Gujarat High Court, it was in no position to either contest before the Hon'ble Gujarat High Court or to file an appeal against the said order.

e. There is no reason for the Authority to deviate from its consistent position that, "*Customs classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC*". The recommendations of the Authority are absolutely clear that the determination of duties shall be decided on the basis of the description of the PUC and not the Customs Heading which is only for indicative purposes.

f. There is no bar on the Ministry of Finance to add to or alter the Customs Headings in its notification. In several Customs Notifications, the Customs Headings have been altered/amended by the Ministry of Finance for various reasons.

g. In Customs Notification No. 47/2019, dated 30th December, 2019, the Ministry of Finance has amended the earlier Customs Notification relating to 6 anti-dumping cases in view of the change in tariff heading. This has been done solely to align them with the amended Customs Tariff. This establishes that the duties in anti-dumping investigations are governed by the product description and not by the tariff headings.

h. In the recent Customs Notification No. 10/2020 dated 2nd February, 2020 issued by the Ministry of Finance the Customs Headings have been altered due to the change in the tariff classification.

i. There is absolutely no restriction imposed by the Hon'ble Gujarat High Court either on the Authority or on the Ministry of Finance from mentioning the correct headings in the customs notification under which the PUC is actually being imported and cleared by Customs.

j. Authority is requested to incorporate all the tariff headings under which the Subject Goods are being imported besides reiterating, "*Customs classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC*".

k. In the context of Hon'ble Gujarat High Court's decision, "*the respondent authorities have no authority in law to demand definitive antidumping duty in relation to the goods imported by the petitioner which do not fall under the Tariff Items mentioned*", the Hon'ble High Court in the above case has granted a party-specific relief to the petitioner from collection of the duties on the goods not covered under the customs notification. It would be extremely unfair if the relief granted to a particular petitioner/importer forms the basis for restricting the scope of ADD for all the imports. This would be a completely uncalled for interpretation of the High Court order which, as per information of the DI, even the Ministry of Finance is not adopting as they continue to collect duties from other importers.

l. In the unlikely event that the Authority is not convinced with the DI's above submissions, the Authority is requested to include all the headings under which imports of sheet glass from China have taken place with a clear proviso that the collection of duties qua M/s Ajanta LLP would be subject to the order of the Hon'ble Gujarat High Court in SCA No. 13496 of 2015, which is the limited purport of the decision of the Hon'ble High Court.

m. Trade Notice No. 11/2018 dated 10th September, 2018 states that an interested party who does not file a questionnaire response shall be entitled to participate in other stages of the investigation by filing legal submissions, attending public hearing, filing disclosure comments, etc. provided it has registered itself with the Authority within the timelines prescribed. In this case, it is undisputed that M/s Ajanta LLP has not registered before the Authority and, therefore, they do not fulfil the condition precedent prescribed in clause (iv) of the said Trade Notice. In such a scenario, the submissions made by M/s Ajanta LLP cannot be entertained by the Authority in terms of the said Trade Notice. Neither the said party has made any plea for making an exception not the Authority recorded any grounds for any kind of special consideration in the instant case. Therefore, the submission of M/s Ajanta LLP ought to be disregarded.

n. It may be noted from the Disclosure statement that the dumping margin of the cooperating producer from China PR also well as the non-cooperating producers is exceedingly high. This substantiates the argument of the DI that despite the imposition of the duties, the Chinese exporters absorbed the duties and continued to dump the Subject Goods in India. In view thereof, the continuation of the duties is imperative for the survival of the DI.

o. It is clear from the perusal of the Disclosure Statement that the Subject Goods from the Subject Country continue to cause injury to the DI. The price undercutting, price suppression/depression and price underselling are positive and substantial. Even though the Authority has analysed the imports under two headings only, the volume of imports have increased in the post-POI period. The performance parameters of the DI have worsened in the post-POI period. The inventories of the DI have taken a serious toll in the post-POI period and similar trends are visible with respect to profitability, ROCE and other injury parameters.

p. The trends of ROCE mentioned in Disclosure Statement in the post-POI period appear to be incorrect. While the ROCE of the DI has reduced in the post-POI period, the Disclosure Statement shows an increase in the same. The percent figures of the ROCE appear to have inadvertently been annualised for the post-POI period. The Authority is requested to rectify the same.

q. It is clear from the Disclosure Statement that the Chinese exporters continue to dump the Subject Goods in the Indian market causing injury to the DI. There is clear and imminent likelihood of further injury to the DI in case the duties are removed. Imports have gone up in the post-POI period while the import prices have decline. The capacity enhancement and export potential of the Chinese exporters have already been demonstrated by the DI. The Disclosure Statement demonstrates that Indian market is attractive for the Chinese producers. The Authority is requested to recommend the continuation of duties in order to protect the DI from the Subject Goods duped from China at highly injurious prices.

r. It is evident from the Disclosure Statement and from the pricing pattern of the Chinese exporters that they have absorbed the ADD by lowering their prices, thereby defeating the purpose the imposition of the ADD. The Authority is requested to change the duty structure from fixed duty on per MT basis to a Reference Price based duty as has been done in several cases in the past even at the stage of sunset review. Such a mode of duty would ensure that the duties are not being absorbed by the Chinese producers and, at the same time, no excessive burden is saddled on the Indian importers who import at un-dumped prices. Given the history of the Chinese producers to absorb the ADD in the present case, it would be most logical to change the duty structure to reference price based duty. A Reference Price based duty would also be in line with the stated policy of the government that India should not become a dumping ground for cheap and poor quality goods.

s. The DI also requested that an opportunity may be given to them to explain their position in person in the interest of justice and equity since some issues have been brought out in the Disclosure Statement for the first time.

Comments by the Importer

83. M/s. Ajanta LLP is the only importer who participated as an interested party in the present investigation. M/s Ajanta LLP has informed that they have noted that the Authority has allowed their claims for limiting the scope of the PUC to the two tariff items 7004 2011 and 7004 2019, on which ADD had been imposed vide Customs Notification 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015.

Comments by the Producer and Exporter

84. The Producer, M/s. Shandong Guangyao Super – Thin Glass Co. Ltd. and Exporter, M/s. Zhongwei International Co. Ltd., from the Subject Country have submitted that their exports to India were under the Custom Tariff Item 7004 90 99, while the PUC for the said Sunset Review falls under HS 7004 20 11 and 7004 20 19. Their exports are beyond the scope of the PUC covered under this investigation.

Examination by the Authority

85. The post-disclosure submissions are examined by the Authority as follows:

i. The Authority appreciates the concern of the domestic industry and holds that the purpose of the disclosure statement is to bring to the notice of all concerned interested parties the essential facts which would the basis of the final finding. The disclosure statement, therefore, also intends to provide opportunity to all interested parties to comment on any essential fact which may not find a mention in the disclosure statement or any issue/fact which may have escaped attention by any interested party during the ongoing process of investigation and needs to be addressed in the final finding in the interest of justice and equity. Further, there is a need to issue the final recommendation at the earliest in view of the timeline as explained in para 82(i). The Authority further observes that two oral hearings were held in this case on 30th September, 2019 and 18th December, 2019 wherein all interested parties including the Domestic Industry have been granted sufficient opportunity to file submission and rejoinder during the course of investigation. Hence, the Authority did not grant any personal hearing post the disclosure statement to any interested party. However, all relevant submissions made by various interested parties, including those made by the domestic industry, have been addressed appropriately in this final findings.

ii. Authority notes that post-disclosure comments/submissions made by the interested parties are mostly reiterations of earlier submissions, which have already been examined suitably and adequately addressed in the Disclosure Statement or relevant paras of the present findings.

iii. The Authority also notes that the domestic industry has stated that the various submissions made by them from time to time during the investigation do not find a mention or have not been considered appropriately. The Authority holds that the purpose of disclosure is to bring to the notice of all interested parties any relevant submissions/aspects which have not been included in the disclosure for consideration. Further, certain submissions which are repetitive or get covered in related/similar submissions may not be considered to have been omitted. However, the Authority notes that the domestic industry has not stated as to which specific relevant submissions have not been mentioned in the disclosure. The Authority has revisited the submissions made by the domestic industry and holds that all relevant submissions have been dealt by the Authority in the Disclosure Statement.

iv. The Authority notes the submissions of the domestic industry that M/s Ajanta LLP did not register as an interested party in accordance with the Trade Notice No. 11/2018 dated 10th September, 2018, and that they also did not make any plea for any exception, nor the Authority recorded any grounds for any kind of special consideration. The Authority notes that all interested parties, including M/s

Ajanta LLP, were specifically requested to file responses to the initiation notification dated 17th July, 2019 through letter dated 26th July, 2019, within 40 days from the date of issue of the letter. The last date for all interested parties was further extended by 2 weeks. M/s Ajanta LLP filed their response on 11th September, 2019 within the specifically directed timeline by the Authority as per extension granted to all interested parties. The Authority holds that responses filed by all interested parties, including M/s Ajanta LLP, on account of the specific direction of extension granted by Authority in this investigation have been appropriately considered.

v. The Authority notes that in the final finding of the original investigation two tariff headings, i.e. 70042011 and 70042019 were mentioned in the duty table, along with a proviso that the Subject Goods are also being imported under other tariff headings and that the customs classification is indicative only. However, the Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015 mentioned only two tariff headings, i.e. 70042011 and 70042019. As evident from Rule 23 of the Rules, a review investigation is a review of the ADD imposed. In this case, vide Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015, the ADD was imposed on 'Sheet Glass' imported under two HS codes, viz. 70042011 and 70042019 and hence the sunset review also pertains to imports of 'Sheet Glass' under these two HS codes.

vi. The Authority notes that the Hon'ble Gujarat High Court in paras 13 and 14 of the judgement dated 4/11/2015 has held as under;

"13. In the light of the above discussion, this court is of the view that the respondent authorities have no authority in law to demand definitive anti-dumping duty in relation to the goods imported by the petitioner which do not fall under the Tariff Items mentioned in the notification No. 07/2015-Customs (ADD) dated 13.3.2015. Under the circumstances, the impugned demand notice as well as the communication dated 30.3.2015 cannot be sustained.

14. For the foregoing reasons, the petition succeeds and is accordingly, allowed. It is hereby held that the action of the respondents No. 2 to 4 in seeking to levy anti-dumping duty on Import of glass sheets from China PR classified under Tariff item 70049099 is without jurisdiction and without authority of law. Accordingly, the impugned demand notice dated 24.4.2015 and the letter dated 30.3.2015 are hereby quashed and set aside. Rule is made absolute accordingly, with no order as to costs."

vii. The Authority notes that the domestic industry has made submissions that the aforesaid judgement is party-specific. On perusal of the aforesaid judgement, the Authority notes that the Hon'ble Gujarat High Court has held that collection of anti-dumping duty under ITC HS 70049099 which is not included in the Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015 has no authority of law. The judgement is a directive on scope of ADD collection on a notification which is not party-specific. Further, with reference to the domestic industry's submissions that the Ministry of Finance is continuing to collect duties from other importers, the Authority notes that the data from DG System, CBIC indicates that ADD during the POI was collected only on the two HS codes on which ADD was levied vide Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015.

viii. Further, the aforesaid judgment was not challenged by the domestic industry nor by any other interested party or the Government. The Authority, therefore, holds that in a Sunset Review investigation, only the goods which are liable for levy of anti-dumping duty can be considered for investigation of continuance of existing anti-dumping duty. The Authority also holds that in an event of circumvention of Anti-Dumping Duty, the domestic industry could have approached the Authority either for a circumvention/ Mid-Term Review (MTR) investigation or could have appealed against the order of the Hon'ble High Court. Since none of these actions were taken, the Authority has considered only the two ITC heads of the Customs Notification No. 7/2015-Customs(ADD) dated 13th March, 2015 for the scope of conducting the SSR.

ix. With reference to the DI's submissions regarding the product scope and that there is a contradiction in paragraphs 17 and 19 of the Disclosure Statement, it is stated that as already mentioned in paragraph 19 of the Disclosure Statement, in the initiation notification of the present sunset review, the PUC was considered as per the original investigation. Since the present investigation is only a sunset review of the ADD actually imposed on the imports of Subject Goods from Subject Country vide Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015, hence, the classification of the Subject Goods for the purpose of this sunset review at 8-digit level is limited to two heads only, i.e. 70042011 and 70042019, on which the ADD has actually been collected in view of Hon'ble Gujarat High Courts order dated 4th November, 2015 and DoR's Customs Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015.

x. The figures for ROCE mentioned in the Disclosure Statement have been re-checked and found to be correct.

xi. The Authority notes that reference price duty is generally appropriate in cases where there are many grades/models captured in various Product Control Numbers (PCN's), which also have inter se variation in price. In the instant case, the Authority notes that the only cooperative producer has not exported in the POI and that measure on it is being recommended on account of likelihood of dumping and injury on post POI data, reconciled with DGS. Under such circumstances, it is not feasible to quantify and recommend a reference threshold based on POI data and, therefore, the Authority has recommended that the existing measure of the same quantum and form be continued.

Exporters and Importer

xii. The Authority notes that the exporter/importer have only clarified their position on the scope of the present SSR, which has been appropriately considered and addressed by the Authority.

Q. CONCLUSION

86. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of above analysis, including analysis of likelihood of continuation of dumping and injury and post Disclosure Statement submissions made by the DI, the Authority concludes that:

a. Although imports of the PUC reduced during the injury period, including the POI, the imports increased in the post-POI.

b. Dumped imports are causing injury to the DI.

c. Producers in the Subject Country have significant capacities to produce the PUC and have a high export orientation. Dumping of the PUC is likely to intensify from the Subject Country, should the current ADD be revoked. Dumping and injury are likely to continue if the ADD is revoked.

d. The Authority, thus, in order to remove likely injury to the DI considers it necessary to recommend continuation of definitive ADD on all imports of the Subject Goods from the Subject Country.

R. RECOMMENDATION

87. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the DI, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.

88. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal link, likelihood of dumping and injury, if the existing ADD is allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on subject goods from the Subject Country.

89. The Authority notes that the cooperative producer/exporter has not exported subject goods during POI and the continuation of the antidumping duty is being recommended on the basis of likelihood of dumping and injury in the post POI period. The continuance of existing AD measure of USD 63 per MT as per the Custom Notification No. 7/2015-Customs (ADD) dated 13th March, 2015 is recommended for both the cooperative and non-cooperative producers/exporters. The Authority, hence, recommends continuance of Anti-Dumping Duty equal to the amount mentioned in Column 8 of the table below, on imports of Subject Goods originating in or exported from China PR for a further period of 5 years from the date of its imposition:

DUTY TABLE

Sl. No	Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	7004 2011 & 7004 2019	Sheet Glass	China PR	China PR	Any	Any	63	MT	US$
2	7004 2011 & 7004 2019	Sheet Glass	Any	China PR	Any	Any	63	MT	US$
3	7004 2011 & 7004 2019	Sheet Glass	China PR	Any	Any	Any	63	MT	US$

90. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.25 11:28:09 +05'30'